



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम  
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की कार्यप्रणाली पर  
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन  
वर्ष 2006.07

## प्राक्कथन

कोषालय शासकीय लेखा प्रणाली के मुख्य एवं महत्वपूर्ण अंग है तथा वे राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । कोषालय अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें इसके लिये शासन ने संहिताएं नियमावलियां एवं प्रक्रियाएं निर्धारित कर रखी है । अतएव कोषालयों/उपकोषालयों की कार्य प्रणाली एवं विनिर्दिष्ट नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाता है ।

कोषालयों/उपकोषालयों की कार्य प्रणाली पर आधारित वर्ष 2006-07 का यह वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों में तैयार किया गया है । भाग-एक में कोषालयों की संरचना एवं संगठन का उल्लेख किया गया है । भाग दो में कोषालयों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों की जांच के दौरान पाई गई कमियां/त्रुटियां/अनियमितताएं दर्शाई गई हैं एवं भाग-तीन में कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण के दौरान इनकी कार्य प्रणाली से संबंधित संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/कमियों को दर्शाया गया है ।

कोषालयों/उपकोषालयों की कार्यप्रणाली में नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और सुधारों की आवश्यकता है । मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन उन्हें अनियमितताओं से बचने को प्रेरित करने में सहायक होगा ।



**महालेखाकार**  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम

ग्वालियर

दि. 12.12.07

## मुख्य अंश

मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों की वर्ष 2006-07 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नानुसार हैं :-

- कोषालयों द्वारा मासिक लेखे के साथ प्रस्तुत संक्षिप्त सार एवं राज्य अदायगी सूची में दर्शाये गये आंकड़ों तथा राज्य अदायगी सूची एवं भुगतान अनुसूची में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर पाया जाना ।

(कंडिका 2.1.2)

- कोषालय द्वारा मासिक लेखों के साथ प्रस्तुत चालानों की राशियों को लेखे में सम्मिलित न किया जाना ।

(कंडिका 2.1.5)

- कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषित करने में 5 दिन से 22 दिन तक विलंब किया जाना ।

(कंडिका 2.4)

- कोषालयों के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं बैंकों के आर.बी.डी. पत्रकों में दर्ज अंकों में अंतर पाया जाना ।

(कंडिका 2.8)

- पांचवें वेतन आयोग के सिफारिश पर पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण पर अतिरिक्त/अधिक कम्युटेशन मूल्य को गणना में लेने से पेंशन कम्युटेशन राशि रु. 33.61 लाख का अधिक भुगतान किया जाना ।

(कंडिका 3.31)

- सार्वजनिक बैंकों से परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन प्रकरणों की निर्धारित जांच कोषालय अधिकारियों द्वारा न करने से परिवार पेंशन प्रकरणों में राशि रु. 7.34 लाख का अधिक भुगतान किया जाना ।

(कंडिका 3.3.2)

- प्राकृतिक आपदा के आकस्मिक मामलों में बिना बजट के भुगतान करने से संबंधित कोषालय नियम-27 का गलत उपयोग करके राशि रु. 48318.30 लाख का अनियमित आहरण किया जाना ।

(कंडिका 3.5.1)

- सहायक अनुदान/अंशदान देयकों को कोषालयों में गलत प्रपत्र पर प्रस्तुत कर राशियों का अनियमित आहरण किया जाना ।

(कंडिका 3.5.2)

- बजट आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिये अखर्चित राशियों का अनियमित आहरण कर राशि रु. 15418.57 लाख को व्यक्तिगत जमा खातों/बैंक खातों में जमा किया जाना ।

(कंडिका 3.5.3)

- प्रतिबंधित अवधि में कोषालयों से राशियों का आहरण किया जाना ।

(कंडिका 3.5.4)

- तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशियों को व्यपगत न करके राशि रु. 279.42 लाख का अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने से अवरुद्ध रखा जाना ।

(कंडिका 3.6.2)

- तीन वर्ष से अधिक समय से अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों की राशि को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण न करने से राशि को अवरुद्ध रखा जाना ।

(कंडिका 3.6.3)

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(एच) के प्रावधान अनुसार मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदाय कमीशन/छूट से आयकर एवं अधिभार की राशि रु. 170.90 लाख की कटौती स्रोत पर न किया जाना ।

(कंडिका 3.9.1)

- मुद्रांक पंजी के भौतिक सत्यापन में रु. 10000.00 के स्टाम्प कम पाया जाना ।

(कंडिका 3.9.4)

- कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के साफ्टवेयर में पाई गई कमियां ।

(कंडिका 3.10.1)

- कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के संचालन में संरक्षण एवं सुरक्षा का अभाव पाया जाना ।

(कंडिका 3.10.3)

# कोषालयों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2006-07

## भाग-1 : प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सभी कोषालय/उप कोषालय, आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। कोषालय की कार्य प्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रभार में हैं। प्रत्येक कोषालय, कोषालय अधिकारी एवं उप कोषालय, उप कोषालय अधिकारी के प्रभार में रहते हैं। सभी कोषालय अपने तथा अधीनस्थ उपकोषालयों के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर को प्रेषित करते हैं।

## संरचना/संगठन -

मध्य प्रदेश राज्य में कुल 53 कोषालय एवं 159 उपकोषालय हैं। सभी कोषालय/उप कोषालय, बैंकिंग कोषालय/उपकोषालय के रूप में कार्यरत हैं। (परिशिष्ट संख्या 1)

उक्त कोषालयों एवं उपकोषालयों में से 41 कोषालयों एवं 113 उपकोषालयों (वार्षिक एवं द्विवार्षिक) का निरीक्षण वर्ष 2006-07 में किया गया। (परिशिष्ट संख्या 2)

## कोषालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति-

वर्ष	स्वीकृत पद	कार्यरत	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
2006-07	1630	1350	1084	266
योग	1630	1350	1084	266

## भाग-2 : लेखों के संकलन एवं सत्यापन के दौरान पाई गई कमियां / विसंगतियां

### **2.1 लेखों के तैयार करने में पाई गई कमियां**

2.1.1 लेखों के संकलन के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-3 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा राशियों का गलत वर्गीकरण कर लेखा महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया ।

2.1.2 कोषालयों द्वारा रोकड़ लेखे के संक्षिप्त सार तथा राज्य अदायगी सूची में दर्शाये गये आंकड़ों, राज्य अदायगी सूची एवं भुगतान अनुसूची में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर, ऐसे मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राशि का वर्गीकरण जो राज्य लेखें से संबंधित नहीं है रोकड़ लेखे एवं राज्य अदायगी सूची के कुल योग में अंतर एवं गलत शीर्ष में वर्गीकृत राशि को, कोषालय उचंत के अंतर्गत रखा जाता है । वर्ष 2006-07 में कोषालय द्वारा भेजे गये लेखे में उक्त कमियों के कारण कोषालय उचंत के अंतर्गत रखे गये प्राप्त पक्ष एवं भुगतान पक्ष के धनात्मक एवं ऋणात्मक मदों तथा राशि का विवरण परिशिष्ट संख्या-4 में दर्शाया गया है ।

### **2.2 रेलवे पेंशन के बकाया दावे**

वर्ष 2006-07 के दौरान रेलवे पेंशन के कोई भी दावे प्रतिपूर्ति हेतु बकाया नहीं हैं परंतु वर्ष 2003-04 के परिशिष्ट संख्या 5 में दर्शाये अनुसार राशि रू. 329852.00 के पेंशन दावों के प्रमाणक परिशिष्ट-5 में दर्शाये गये कोषालयों से प्राप्त न होने के कारण उक्त दावे अभी भी मध्य प्रदेश शासन के पक्ष में प्रतिपूर्ति हेतु बकाया हैं ।

### **2.3 कोषालयों से अप्राप्त प्रमाणकों की सूची**

परिशिष्ट संख्या 6 में दिये गये विवरण अनुसार कोषालयों द्वारा अपने मासिक लेखों के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किये गये प्रमाणकों में से वर्ष 2006-07 में कुल राशि रु. 31005405.00 के 563 प्रमाणक अप्राप्त थे जिस कारण उन्हें आपत्ति पुस्तिका उच्चतं खातों में दर्ज किया गया ।

वर्ष 2006-07 के दौरान उक्त सभी मदों का निराकरण किया गया है एवं माह मार्च, 2007 के अन्त में कोई भी राशि आपत्ति पुस्तिका में बकाया नहीं रही । मासिक लेखे के साथ प्रमाणक प्राप्त न होने के कारण संबंधित माह में लेन देनों को सही शीर्ष में नहीं दर्शाया जा सका ।

### **2.4 कोषालयों से मासिक लेखा प्राप्ति में विलंब**

समस्त कोषालय अधिकारी निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम म.प्र. ग्वालियर को उनके कोषालय के मासिक लेखा प्रेषण हेतु उत्तरदायी हैं । लेखे की प्रथम सूची जिसमें माह की एक तारीख से दस तारीख तक के लेन देन सम्मिलित रहते हैं, उसी माह की तेरह तारीख से सत्रह तारीख के मध्य महालेखाकार कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये । लेखे की द्वितीय सूची जिसमें ग्यारह तारीख से माह के अंतिम दिन तक के लेन देनों का समावेश होता है, अगले माह की पाँच से आठ तारीख तक इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये ।

समीक्षा में पाया गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्त कुल 636 लेखों में से 20 लेखे विलम्ब से प्राप्त हुये है । कोषालयों द्वारा मासिक लेखा प्रेषण में सामान्यतः 5 से 22 दिनों का विलम्ब किया गया है । विस्तृत विवरण परिशिष्ट संख्या-7 में दर्शाया गया है ।

### **2.5 जमा एवं अग्रिम के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निराकरण**

वर्ष 2006-07 के दौरान ऋण एवं जमा शीर्ष के अंतर्गत परिशिष्ट संख्या-8 में दिये विवरण अनुसार कुल राशि रु. 8646490.35 मुख्य शीर्ष 7610 कर्मचारियों को ऋण के अंतर्गत तथा मुख्य शीर्ष 8009 विभागीय भविष्य निधि के अंतर्गत राशि रु. 831663888.73 का प्रतिकूल शेष लंबित है । वर्ष के दौरान वृद्धि, निराकरण एवं अंतशेष राशि की जानकारी उक्त परिशिष्ट में दर्शायी गई है ।

## **2.6 कोषालयों से वांछित अनुसूचियों के प्राप्ति में विलंब**

### **2.6.1 डाक जीवन बीमा की वांछित अनुसूचियां**

वर्ष 2006-07 के दौरान कतिपय मामलों में कोषालयों से डाक जीवन बीमा की अनुसूचियाँ प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप रु0 28189.00 की राशि डाक महापाल कोलकत्ता को प्रेषित नहीं की जा सकी । फलतः पालिसी धारकों के लेखे अपूर्ण रहे । कोषालयों द्वारा मासिक लेखे में दर्ज डाक जीवन बीमा की राशियों के समर्थन में कटोत्रा पत्रक या तो भेजे ही नहीं गये या कम राशि के भेजे गये । वांछित डाक जीवन बीमा अनुसूचियों का विवरण परिशिष्ट संख्या-9 पर दर्शाया गया है ।

### **2.7 कोषालयों में लेखा संकलन एवं महालेखाकार को लेखा भेजने के संबंध में सूचना प्राद्योगिकी लेखा परीक्षा में पाई गई कमियां**

राज्य सरकार के सभी कोषालय/उपकोषालय पूर्ण कम्प्यूटीकृत घोषित किये जाने के बावजूद वर्ष 2006-07 में सीहोर कोषालय द्वारा समस्त लेखे/आय व्यय, मुद्रांक, पेंशन, जमा आदि कम्प्यूटर से तैयार कर नहीं भेजे गये । परिशिष्ट संख्या-10 में दर्शाये गये विवरण अनुसार उक्त कोषालय के अदायगी सूची एवं रोकड़ लेखा कम्प्यूटर से तैयार कर नहीं भेजे गये ।

### **2.8 भारतीय रिजर्व बैंक जमा पंजी**

कुछ मामलों में कोषालय के रोकड़ लेखे में दर्ज आर.बी.डी. के अंक एवं बैंकों के आर.बी.डी. पत्रकों के अंकों में अंतर पाया गया है । मार्च 2007 की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपाजिट (केन्द्रीय) एवं रिजर्व बैंक डिपाजिट (राज्य) के अंतर्गत विसंगतियों का विवरण परिशिष्ट संख्या -11 (अ) एवं (ब) में क्रमशः दर्शाया गया है ।

### **2.9 भुगतानकर्ता बैंक से दैनिक प्राप्ति एवं भुगतान की स्कॉल्स**

कार्य विधि के अनुसार मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रक (डी.एम.एस.) जिला कोषालय अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद बैंक शाखाओं को एक प्रति वापस कर दो प्रतियाँ कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर को डाक द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक मिल जाना चाहिये, परन्तु ये पत्रक कुछ मामलों में या तो प्राप्त ही नहीं होते हैं या काफी विलम्ब से प्राप्त होते हैं जिसके कारण आर.बी.डी. के अंतर्गत विसंगतियों का निराकरण प्रभावित होता है ।

वर्ष 2006-07 में अप्राप्त सत्यापित मासिक तिथिवार आय-व्यय पत्रकों(व्ही.डी.एम.एस.) का कोषालयवार/बैंकवार विवरण परिशिष्ट संख्या-12 में दर्शाया गया है ।



**भाग-3 : वर्ष 2006-07 के दौरान कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षण एवं व्यय लेखा परीक्षा के दौरान परिलक्षित हुई त्रुटियां एवं अन्य अनियमिततायें**

**3.1 वर्ष 2006-07 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालय एवं उपकोषालय का विवरण**

इस कार्यालय के निरीक्षण दलों द्वारा कोषालयों/उपकोषालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का उद्देश्य राजस्व अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था के संचालन में सहयोग देना है जिससे सभी कोषालय निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कार्य कर सकें। समीक्षा वर्ष 2006-07 के दौरान इस कार्यालय द्वारा 41 कोषालयों एवं 113 उपकोषालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण किये गये कोषालयों एवं उपकोषालयों का विवरण परिशिष्ट संख्या-2 में दर्शाया गया है।

**3.2 (अ) वर्ष 2006-07 में लंबित निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार है -**

कंडिकाओं का विवरण	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
दिनांक 01.04.2006 को प्रारंभिक शेष	327	1214	48	86
वर्ष के दौरान वृद्धि	157	805	—	—
<b>योग</b>	<b>484</b>	<b>2019</b>	<b>48</b>	<b>86</b>
वर्ष के दौरान निराकरण	116	697	25	40
दि.31.3.07 को अंतशेष	368	1322	23	46

**(ब) निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है -**

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	कंडिकाओं की संख्या	व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संख्या	कंडिकाओं की संख्या
87-88	—	—	01	03
90-91	01	03	01	01
93-94	—	—	—	—
94-95	—	—	—	—
95-96	02	21	02	06
96-97	—	—	01	03
97-98	09	47	—	—
98-99	01	01	01	01
99-2000	02	02	—	—
2000-01	07	14	02	04

2001-02	07	10	01	04
2002-03	22	26	05	07
2003-04	08	09	04	10
2004-05	30	35	02	03
2005-06	124	359	03	04
2006-07	155	795	—	—
<b>कुल योग</b>	<b>368</b>	<b>1322</b>	<b>23</b>	<b>46</b>

लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु आयुक्त/क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा कोषालय अधिकारियों का लगातार ध्यान आकृष्ट किये जाने के फलस्वरूप समीक्षा वर्ष 2006-07 में 116 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 697 कंडिकाओं तथा 25 व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं 40 कंडिकाओं का निराकरण किया गया । दिनांक 31.03.2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 368 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1322 कंडिकायें एवं 23 व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की 46 कंडिकायें लंबित है ।

### 3.3 पेंशन से संबंधित प्रकरण

#### 3.3.1 पांचवे वेतन आयोग के फलस्वरूप पुनरीक्षित पेंशन के अतिरिक्त सारांशीकृत मूल्यों की राशि में अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9/8/2002/नियम चार दिनांक 25.10.02 के द्वारा शासन ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन सारांशिकरण नियम 1996 के विषय में स्पष्टीकरण जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पेंशन कम्प्यूटेशन की व्यवस्था में यह सिद्धांत निहित है कि पेंशन कम्प्यूटेशन मूल्य, आगामी वर्षों में पेंशन से होने वाली कटौतियों की राशि की एक निर्धारित दर पर डिस्काउंट करते हुए प्रगणित की गई राशि के बराबर होगी अतः यदि कम्प्यूटेशन के कारण पेंशन की रकम में कटौती विलम्ब से प्रारंभ होती है तो पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य में भी तदनुसार परिवर्तन होना आवश्यक है । ऐसा न होने पर शासन को अनावश्यक रूप से वित्तीय हानि उठानी पड़ती है तथा पेंशन कम्प्यूटेशन अंतर्गत किया गया संव्यवहार दोनों पक्षों के लिये समरूप नहीं रहता ।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि पेंशन के कम्प्यूटेशन के मूल्य की गणना उसी वर्ष में आयु के आधार पर की जाये जिस वर्ष में पेंशन की कटौती प्रारंभ हो तथा यह व्यवस्था मूल पेंशन एवं पुनरीक्षित पेंशन दोनों के मामलों में समान रूप से लागू की जाये ।

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन कम्प्यूटेशन) नियम 1996 के अंतर्गत ऐसे सभी प्रकरण जिनमें नियम 8 की गलत व्याख्या के कारण अधिक भुगतान हो गया उसकी पेंशनों से वसूली तत्काल संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा /जिला कोषालय द्वारा सुनिश्चित की जावे । इस संबंध में दिनांक 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के

प्रकरण जिन्हें दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान के संदर्भ में पुनरीक्षित किया गया हो तथा उक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य का भुगतान किया गया हो, को विशेष रूप से देखा जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में विभिन्न कोषालयों के निरीक्षण में पाया गया कि दि. 1.1.96 के पश्चात सेवा निवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 1.3.98 के पश्चात पांचवे वेतनमान में पुनरीक्षित किया गया है तथा पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त कम्प्यूटेशन मूल्य का भुगतान किया गया है । किन्तु पुनरीक्षित पेंशन में से सारांशीकृत राशि की गणना विभाग के उक्त आदेश 25.10.02 के पैरा 4 के अनुसार पेंशन की कटौती प्रारंभ होने के वर्ष की आयु के आधार पर नहीं की गई है । जिस कारण परिशिष्ट संख्या-13 में वर्णित कोषालयों द्वारा राशि रू. 33.41 लाख का अधिक भुगतान किया गया है । कोषालयों द्वारा इन प्रकरणों की समीक्षा उपरांत आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

### **3.3.2 निर्धारित अवधि के उपरांत परिवार पेंशन का बढ़ी दर से भुगतान किया जाना**

संचालक, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक/कोष/प्राक्कलन/पेंशन/पी.पी.ओ./141 दिनांक 10.08.2000 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि कोषालय अधिकारी अपने जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भुगतान किये गये कुल पेंशन की संख्या के दो प्रतिशत के बराबर प्रकरणों की जाँच प्रत्येक माह में करेंगे । यदि बैंक शाखा में एक प्रतिशत से अधिक प्रकरणों में बैंक द्वारा प्रदत्त राशि एवं कोषालय द्वारा संगणित राशि के मध्य अन्तर की स्थिति पैदा होती है तो संबंधित बैंक शाखा से सम्पर्क कर उस बैंक शाखा के सभी पेंशन प्रकरणों की विशेष जाँच करायी जाये ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परिशिष्ट-14 में वर्णित कोषालयों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य पेंशनभोगियों को किए गए पेंशन/परिवार पेंशन भुगतानों की जांच न करने के फलस्वरूप इन सार्वजनिक बैंकों द्वारा परिवार पेंशन के प्रकरणों में बढ़ी दर से भुगतान करना जारी रहा जिससे राशि रू. 7.34 लाख का अधिक भुगतान किया गया ।

### **3.3.3 कोषालय के पेंशन अदायगी आदेश (पी.पी.ओ.) पंजी में आवश्यक जानकारी दर्ज न किया जाना**

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक/कोष/प्रचालन/पेंशन/पी.पी.ओ./141 भोपाल दि. 10.8.2000 के कंडिका (iii) के निर्देशों के तहत दि. 31.10.2000 तक सभी कोषालय अधिकारी अपनी पी.पी.ओ. पंजियों को बैंक स्कूल के अनुसार अद्यतन

करायें । यदि पी.पी.ओ. पंजी में भिन्नता पाई जाती है तो त्रुटि के लिये संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

कोषालय निरीक्षण के दौरान निम्न कोषालयों के पेंशन अदायगी आदेश (पी.पी.ओ.) पंजी की समीक्षा करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अनिवार्य जानकारी पी.पी.ओ. पंजी पर दर्ज नहीं है –

- (i) पेंशनर की जन्मतिथि
- (ii) पेंशनर की सेवा निवृत्ति/मृत्यु दिनांक
- (iii) भुगतान की गई समस्त राशियों का विवरण जैसे—उपदान का भुगतान दिनांक, सारांशीकरण का भुगतान दिनांक आदि ।

स.क्र.	कोषालय का नाम	निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा अवधि
1	सीधी	12/05 से 11/06
2	रतलाम	8/05 से 8/06
3	अशोकनगर	11/04 से 4/06 एवं 11/03 से 4/06

उक्त जानकारियों के अभाव में पी.पी.ओ. पंजी अपूर्ण है तथा उपरोक्त आदेशों की अवहेलना है ।

### 3.4 सामान्य भविष्य निधि से संबंधित कार्य

#### 3.4.1 सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर निर्धारित छःमाह की समयावधि में भुगतान न किया जाना

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र./को.प्र.लेखा/16-17/2004/52 दिनांक 18.6.04 द्वारा कोषालय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे सा.भ.नि. अंतिम भुगतान हेतु प्राप्त प्राधिकार पत्रों पर आहरण अधिकारियों से समन्वय कर तुरन्त भुगतान संबंधी आवश्यक कार्यवाही करें ।

पुनः मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-5/4/2005/नि./चार दिनांक 29.6.05 निर्देश जारी किये गये हैं कि सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के सा.भ.नि. अंतिम भुगतान के प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी न्यायालय की शरण लेते हैं तथा आहरण अधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हैं, इस कारण अनावश्यक श्रम एवं समय लगता है तथा शासन पर कई मामलों में वित्तीय भार भी आता है। इसके अलावा विलम्ब से उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा ब्याज की राशि की हानि भी उठानी पड़ती है ।

महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी सा.भ.नि. अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्रों की वैधता अवधि, जारी किये जाने वाले माह से आगामी छःमाह तक रहती है । यदि उक्त अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो वैधता अवधि समाप्त हो जाती है तथा ऐसे प्राधिकार पत्रों के पुनर्वैधीकरण महालेखाकार से कराने हेतु कार्यवाही की जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-15 में दर्शाये गये कोषालयों द्वारा महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी कुल 141 प्राधिकार पत्रों पर राशि रू. 14055055.00 का भुगतान आहरण अधिकारियों से समन्वय करके जारी होने के दिनांक से छःमाह की (वैधता) अवधि में भी नहीं किया गया तथा पुनर्वैधीकरण की कार्यवाही भी लंबित पाई गयी ।

### 3.5 लेखा से संबंधित क्षेत्र

#### 3.5.1 कोषालय नियम 27 (टी.आर. 27) के अंतर्गत राशियों का अनियमित आहरण

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के नियम 27 के अनुसार आवश्यकता की परिस्थितियों में कलेक्टर लिखित आदेश द्वारा इन नियमों के उपबंधों का पालन किये बगैर कोषालय अधिकारी को पेंशन भुगतान को छोड़कर, कोई भी भुगतान करने के लिये अधिकृत कर सकता है । ऐसे प्रकरण में कलेक्टर अपने आदेश की प्रति तथा ऐसी परिस्थितियां दर्शाने वाला प्रपत्र तुरन्त महालेखाकार को भेजेगा तथा कोषालय अधिकारी भुगतान की सूचना तुरन्त महालेखाकार को देगा ।

इन नियमों के अधीन विशेष अधिकारों का प्रयोग करने की आवश्यकता सामान्य परिस्थितियों में नहीं होनी चाहिये । ऐसी शक्तियों का प्रयोग असामान्य परिस्थितियों में किया जाना चाहिये जैसे- बाढ़, भूकम्प तथा ऐसे ही अन्य कारण ।

निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-16 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उक्त नियम का गलत उपयोग कर मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त अन्य मुख्य शीर्षों से कलेक्टर की आवश्यक स्वीकृति के बिना राशियों का आहरण किया गया । उक्त मुख्य शीर्षों से आहरित राशियों का व्यय कार्यालय व्यय, पी.ओ.एल, यात्रा भत्ता आदि भुगतानों हेतु किया गया । इस प्रकार कोषालयों एवं उपकोषालयों के अंतर्गत कुल राशि रू. 4831829679.00 का अनियमित आहरण किया जाना पाया गया ।

### **3.5.2 सहायक अनुदान/अंशदान की राशि का गलत प्रपत्र पर आहरण**

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 426 के अनुसार सहायता अनुदान, अंशदान इत्यादि के देयक जब तक विभागीय विनियमों द्वारा कोई वैकल्पिक प्रपत्र अधिकृत नहीं किया गया हो प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 46 उपयोग में लाया जाना चाहिये । जब तक किसी प्रकरण में स्वीकृतकर्ता अधिकारी अन्यथा निर्देशित न करे देयक अनुदान ग्रहिता द्वारा तैयार एवं प्रमाणित किया जावेगा तथा जब तक उस पर स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी या ऐसे अन्य किसी शासकीय अधिकारी के हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर न हो जाये कोषालय अधिकारी द्वारा ऐसे देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनुदान राशियों के आहरण हेतु विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर/ प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करने से तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने से बचने के लिये अनुदान देयक निर्धारित प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 46 में तैयार न करके साधारण पावती प्रपत्र, एम.पी.टी.सी. 76 अथवा एफ.व्ही.सी. प्रपत्र पर तैयार कर कोषालयों में प्रस्तुत किये गये जिन्हें कोषालयों द्वारा बिना जांच एवं आपत्ति किये पारित कर भुगतान किया गया। इस प्रकार परिशिष्ट संख्या-17 में दिये विवरण अनुसार राशि रु. 26779354.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

### **3.5.3 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु राशियों का अनियमित आहरण**

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 284 के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तत्काल वितरण की जाना अपेक्षित न हो, मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु कोषालय से पेशगी निकालना गंभीर अनियमितता है, तथा ऐसे आहरण के लिए दोषी व्यक्ति स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया परिशिष्ट संख्या-18 में दिये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत आहरण अधिकारियों द्वारा उनको वर्ष 2006-07 में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आवंटित संपूर्ण राशि/अखर्चित राशि पर माह मार्च, 2007 में एक मुश्त अग्रिम आहरण कर राशि को व्यक्तिगत जमा खाते अथवा बैंक खाते में जमा किया गया ताकि राशि का व्यय/ उपयोग आगामी वर्ष में सुविधानुसार किया जा सके । चूंकि राशि का व्यय वर्ष 2006-07 में किया जाना था परंतु राशि अखर्चित रहने पर व्यक्तिगत जमा/बैंक

खाते में जमा करने से अनियमितता की गई है । इस प्रकार कोषालयों द्वारा कुल राशि रू. 1541857029.00 का अनियमित भुगतान किया गया ।

#### **3.5.4 प्रतिबन्धित अवधि के पश्चात बिना वित्त विभाग की अनुमति के राशियों का भुगतान किया जाना**

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग क्रमांक एल-17-8/ब/7/चार/2006 दि. 16.3.06 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 के अन्त में कोषालय में देयक दिनांक 28.3.06 सांय 5 बजे तक ही ग्राह्य किये जावेंगे, तत्पश्चात वित्त विभाग की स्वीकृति उपरांत ही देयक कोषालय द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शासन द्वारा मार्च 2006 हेतु दिनांक 28.3.06 के पश्चात राशियों के आहरण हेतु लगाये गये प्रतिबन्ध के बावजूद विभिन्न कोषालयों/ उपकोषालयों द्वारा प्रतिबंधित दिनांक के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत देयकों को स्वीकार कर कुल राशि रू. 178887425.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या-19 में दर्शाया गया है ।

#### **3.5.5 आयकर तथा वन प्रेषण की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण किया जाना**

राज्य शासन के कर्मचारियों के वेतन देयकों से स्रोत पर आयकर की कटौती का वर्गीकरण शीर्ष 8658-उचंत लेखा, 112-स्रोत पर आयकर की कटौती के अंतर्गत किया जाना चाहिए । इसी प्रकार वन प्रेषण की प्राप्तियों का वर्गीकरण शीर्ष 8782-नगद प्रेषण तथा समायोजन, 103-वन प्रेषण के अंतर्गत किया जाना चाहिए ।

परंतु परिशिष्ट संख्या-20 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा उक्त आयकर की राशि का वर्गीकरण सीधे मुख्य शीर्ष 0021-आय पर निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर तथा मुख्य शीर्ष 0406-वन राजस्व के अंतर्गत किया गया ।

#### **3.5.6 ए.सी.बिलों के विरुद्ध डी.सी.बिल प्रस्तुत नहीं किया जाना**

उन आकस्मिक व्यय को छोड़कर जिनके लिये भुगतान के पूर्व प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित हैं, इस समूह के अधीन आने वाले आकस्मिक प्रभारों को कोषालय से प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 35 पर संक्षिप्त देयक प्रस्तुत कर आहरण किया जा सकता है, बशर्ते कि नियंत्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षरार्थ तथा पश्चात विहित विधि के अनुसार महालेखाकार को भेजने हेतु विस्तृत देयक प्रस्तुत किये जायें ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-21 में दर्शाये गये विवरण अनुसार विभिन्न कोषालयों के अंतर्गत आहरित संक्षिप्त व्यय देयक (ए.सी.बिल) के विरुद्ध विस्तृत व्यय देयक विवरण (डी.सी.बिल) 31 मार्च 2007 तक प्रस्तुत नहीं किये गये ।

**3.5.7 शासकीय कार्यालयों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा जमा राशि की तथा कोषालय से किये गये आहरणों का प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण न किया जाना**

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रमांक 1889/1843/2001/सी/चार, दि. 5.10.01 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालयों/बैंकों में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की प्रतिमाह पुष्टि कराई जाना अनिवार्य होगा । इस संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि –

(1) मासिक लेखा प्रेषण के तत्काल पश्चात कोषालय से संबंधित समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को उनसे संबंधित राजस्व शीर्ष में विगत माह में चालान द्वारा समस्त जमा राशि की अनुसूची प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्रदाय की जावेगी ।

(2) कार्यालय प्रमुख उक्त सूची में दर्शाई समस्त चालानों की राशि की पुष्टि कार्यालयीन अभिलेख से कर सत्यापित सूची कोषालय को माह की 20 तारीख के पूर्व वापिस लौटाई जावेगी । यदि सूची के विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तब आहरण अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल कोषालय अधिकारी से संपर्क कर त्रुटि का समाधान करावें ।

इसी प्रकार वित्त विभाग क्रमांक 2570/3359/2000/सी/चार, दिनांक 12.12.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन के कार्यालय प्रमुखों द्वारा कोषालय से किये गये समस्त आहरणों की प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण कराई जाना अनिवार्य किया गया है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-22 में दर्शाये अनुसार कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा राज्य शासन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है ।

**3.5.8 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार दो पासबुकों का संधारण न किया जाना**

भारतीय रिजर्व बैंक मे विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़ों के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से आर.बी.आई. के परिपत्र संख्या डी.जी.बी.ए.जी. ए.डी./1377/31.4.008/2002-03/02.2.03 एवं पत्र क्र. सं.बैं.ले.नि.जी.ए.डी.एच. 698/31.4.008/2002-03/17.6.03 के द्वारा दो पासबुक क्रमशः कोषालय एवं एजेंसी बैंक स्तर पर राज्य शासन के आय व्यय के आंकड़े प्रतिदिन सतत रूप से दर्ज करने तथा परस्पर सत्यापन के उद्देश्य से संधारित करने के निर्देश हैं ।



प्रत्येक माह पासबुक के 'ए' साइड पर बैंक स्तर व 'बी' साइड पर कोषालयीन अभिलेख से आय व्यय के आंकड़े दर्ज करने हेतु निर्धारित किये गये हैं जिसका परस्पर सत्यापन भी किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-23 में दर्शाये गये कोषालय तथा उपकोषालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त निर्देशों का पालन न किया जाना पाया गया ।

### **3.6 जमा खातों की अभिरक्षा**

#### **3.6.1 महालेखाकार कार्यालय को व्यपगत जमा पत्रक न भेजा जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार राजस्व जमा में तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राशियों का एक विवरण पत्रक एम.पी.टी.सी. 71 में प्रत्येक 31 मार्च को तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को राशियों के व्यपगत करने हेतु भेजा जाना चाहिए परंतु निरीक्षण के दौरान पाया गया परिशिष्ट संख्या 24 में दर्शित 38 कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राजस्व जमा में राशियों के तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत रहने पर भी उक्त पत्रक महालेखाकार कार्यालय को नहीं भेजा गया है ।

#### **3.6.2 तीन वर्ष से अधिक समय से अदावाकृत राजस्व जमा की राशि व्यपगत न किया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 562 के प्रावधान अनुसार एक पूर्ण लेखा वर्ष तक दावा न किये गये रू. 25.00 से अनाधिक की जमा राशियों को, वित्त वर्ष में अंशतः वापस भुगतान की गई जमा राशि के पश्चात शेष बची पच्चीस रूपये से अनधिक की जमा राशियों, तथा तीन पूर्ण लेखा वर्षों से भी अधिक समय तक अवशिष्ट समस्त अदावाकृत शेष राशियों को प्रतिवर्ष मार्च माह की समाप्ति पर महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से शासन के खाते में व्यपगत किया जावेगा । इस तरह व्यपगत हुए निक्षेपों एवं शेषों की प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 71 में एक सूची 31 मार्च के पश्चात तत्काल कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-24 में दिये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राजस्व निक्षेप की तीन लेखा वर्षों से अधिक समय से अदावाकृत राशि रू. 27941749.00 को नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत नहीं किया गया ।

### **3.6.3 तीन वर्ष से अधिक समय से निष्प्रभावी व्यक्तिगत जमा खातों की राशि राजस्व जमा में अंतरण न करना**

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार यदि व्यक्तिगत लेखा लगातार 3 वर्षों से अधिक अवधि से निष्प्रभावी रखा गया है तो कोषालय अधिकारी लिखित रूप में लेखा के प्रशासक को संबोधित करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि एक माह के अन्दर कारण बतायें कि लेखा के शेष को क्यों न राजस्व में जमा किया जावे । यदि प्रशासक का पता नहीं चले, या वह एक माह में प्रतिउत्तर देने में असफल रहता है अथवा कोषालय अधिकारी को व्यक्तिगत जमा लेखा निरंतर चालू रखने के बारे में औचित्य बताने में असफल रहता है तो कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार की पुस्तक से शेष का मिलान तथा सत्यापन कराने के पश्चात महालेखाकार को मांग पत्र भेजकर संबंधित प्रशासक के व्यक्तिगत जमा लेखा के शेष को राजस्व जमा में जमा करेगा ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत जमा खातों में तीन वर्ष से अधिक समय से कोई लेन देन न होने के बावजूद भी इन खातों में जमा शेष राशि रु. 384711159.03 को राजस्व निक्षेप के अंतर्गत अंतरण करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । (परिशिष्ट संख्या-25)

### **3.6.4 राज्य की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 543 के अनुसार ऐसे व्यक्तिगत निक्षेप खाते जो शासन की समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित किये जाते हैं, वित्त वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि के सेवा शीर्ष में ऋणनामों कर बन्द किये जाने चाहिये । यदि आवश्यकता पड़ती है तो खातों को पुनः सामान्य रीति से अगले वित्तीय वर्ष में खोला जा सकता है ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कोषालयों में संधारित व्यक्तिगत निक्षेप खाते जिनमें समेकित निधि को विकलित कर राशि जमा कराई गई थी को वर्ष के अन्त में उक्त नियम के प्रावधान अनुसार परिशिष्ट संख्या-26 के विवरण अनुसार इन खातों में दिनांक 31.3.07 तक राशि रु. 2313119326.00 को ऋण नामों देकर खातों को बन्द नहीं किया गया है ।

### **3.6.5 सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 582 के अनुसार सिविल न्यायालय निक्षेप खातों के प्राप्तियों एवं भुगतानों की सार पंजी वापसी प्रमाणकों सहित

महालेखाकार को कोषालय प्रभारी अधिकारी के माध्यम से भेजी जाना चाहिये, जो पंजियों को महालेखाकार को प्रेषित करने के पूर्व कोषालय अंकों के साथ प्राप्तियों एवं वापसियों के योग को सहमत होने का सत्यापन करेगा । कोषालय अधिकारी अपने व्यक्तिगत निक्षेपों (प्रपत्र एम.पी.टी.सी. 75) की सार पंजी के नीचे दिखाये गये शेष को नाजिर के सिविल न्यायालय निक्षेपों की पंजियों में दिखाये गये के साथ सहमत होना भी सत्यापित करेगा । यदि कोई भिन्नता हो, कोषालय अधिकारी द्वारा पंजियों में सुधार करने हेतु लौटा दिया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-27 में दर्शाये अनुसार न्यायालयीन अभिलेख अनुसार सूचित राशि तथा कोषालयीन/उपकोषालयीन अभिलेख में दर्ज राशियों में पाये गये अन्तर का बिना निराकरण किये लेखा महालेखाकार को प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार (परिशिष्ट संख्या-27 के अनुसार) कुल अन्तर राशि रु. 5375924.00 के निराकरण की कार्यवाही अपेक्षित है ।

### **3.6.6 व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों से अवशेष सहमति प्रमाण पत्र प्राप्त न होना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक सहायक नियम 590 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता प्रशासक से वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त कर तथा कोषालयीन अभिलेख से मिलान पश्चात सत्यापन कर कार्यालय महालेखाकार को मार्च लेखे के साथ भेजना चाहिये साथ ही अभिलेख में वार्षिक प्रमाण पत्र अनुसार शेष भी अंकित कर सत्यापन कराया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-28 में दर्शाये गये कोषालयों में संधारित कुल 1886 व्यक्तिगत खातों में से केवल 174 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र प्राप्त हुये हैं जबकि 1712 खाताधारकों से अवशेष प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त तक वांछित रहे ।

### **3.6.7 शीर्ष 8443- सिविल जमा, 800-अन्य जमा के अंतर्गत बिना वित्त विभाग की अनुमति के जमा/आहरण स्वीकार किया जाना**

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश क्र. 24/चार/ब-1/1/93, दि. 7.1.93 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा 800 अन्य जमा के अंतर्गत जमा/आहरण किये जाने से पूर्व वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-29 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालय द्वारा शीर्ष 8443- सिविल जमा, 800- अन्य जमा के अंतर्गत जमा/आहरण, बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के स्वीकार किये गये हैं, जो वित्त विभाग के उक्त आदेशों का उल्लंघन है ।

### 3.6.8 वित्त विभाग की अनुमति/स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोला जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 535 के नीचे अंकित मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के क्र. एफ.1/2003/नियम/चार दिनांक 07.6.03 के अनुसार सहायक नियम 533, सहपठित नियम 536 के अनुसार कोषालय में शासकीय व्यक्तिगत निक्षेप खाता खोले जाने के लिये वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति आवश्यक है। शासन के किसी भी विभाग अथवा प्राधिकारी को अपने स्तर पर कोषालय में व्यक्तिगत खाता खोलने के आदेश देने का अधिकार नहीं है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कोषालय द्वारा बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के निम्नलिखित व्यक्तिगत निक्षेप खाता धारक को कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता खोलने की अनुमति अपने स्तर से ही प्रदान की गई है। जो अनाधिकृत है।

पी.डी.खाता पंजी का पृ.क्र.	जमाकर्ता अधिकारी का पदनाम	दिनांक 31.7.06 को जमाशेष
300	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रतलाम	3527599.00

### 3.7 चैकों का लेन देन

#### 3.7.1 वैधता अवधि समाप्त हुए चैकों को व्यपगत न किया जाना

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 2407/2003/ई/चार दिनांक 29.9.03 एवं ई.डी.ओ./कम्प्यू./04/3354 दिनांक 28.3.05 के अनुसार, सामान्य बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि तथा पेंशन देयकों को छोड़कर कम्प्यूटर से जारी अन्य चैकों की वैधता जारी होने के दिनांक से एक माह अथवा 31 मार्च, जो भी पहले हो तक रहेगी। इसके पश्चात यह चैक व्यपगत हो जायेगा परंतु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कोषालयों में उनके समक्ष दर्शाये गये चैकों की निर्धारित वैधता अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी इन्हें व्यपगत नहीं किया गया है :-

कोषालय	चैकों की संख्या	वैधता अवधि (दिनांक तक)	चैकों की कुल राशि
शिवपुरी	08	31.3.06	60147.00
ग्वालियर	177	—"—	3894095.00
मोतीमहल	25	—"—	399666.00
शहडोल	47	—"—	630583.00
बड़वानी	101	—"—	302142.00
मण्डला	05	—"—	16947.00
<b>योग</b>	<b>363</b>		<b>5303580</b>

### 3.7.2 चैकों के धन ऋण पत्रक एवं कम्प्यूटर प्रणाली में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर होना

कोषालयों द्वारा मासिक लेखाबंदी के पश्चात महालेखाकार कार्यालय को जो लेखा प्रस्तुत किया जाता है उसमें कोषालय अभिलेख में जो राशियां दर्ज होती है उन्हीं राशियों का ब्योरा एवं विवरण दर्ज किया जाना चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कोषालयों द्वारा 31 मार्च 2006 को उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरण अनुसार अनाधिकृत चैकों के कम्प्यूटराइज्ड धन ऋण पत्रकों में जो आंकड़े दर्शाकर लेखा महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत किया गया है उनका इन कोषालयों के कम्प्यूटर प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों से सत्यापन/मिलान करने पर भिन्नता पाई गई जो न केवल कम्प्यूटर प्रणाली की कमी को प्रकट करता है बल्कि लेखा तैयार करने की शुद्धता में कमी भी दर्शाता है –

कोषालय	माह	धन ऋण पत्रक के अनुसार		कम्प्यूटर प्रणाली के अनुसार		अंतर	
		चैको की संख्या	राशि	चैकों की संख्या	राशि	चैक	राशि
ग्वालियर	3/06	98	498394	177	3894095	79	3395701
शहडोल	—''—	140	4459021	47	630583	93	3828438
मण्डला	—''—	12	125062	5	16947	7	108115

3.7.3 वर्ष 2006-07 में मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों द्वारा अपने मासिक लेखों में व्यपगत/निरस्त किये गये चैक जिनकी कुल राशि क्रमशः 229420984.00 एवं 5304461.00 थी का समायोजन वर्ष 2006-07 में ही कर लिया गया है ।

### 3.8 कोषालयों में सुरक्षा

#### 3.8.1 दृढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90(2) के अनुसार विद्यमान दृढ़कक्ष का वार्षिक निरीक्षण कार्यपालन यंत्री द्वारा अथवा किसी अनुभवी सहायक यंत्री के द्वारा जिसे इस प्रयोजन हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है, किया जाना चाहिये । निरीक्षणकर्ता अधिकारी सुरक्षा का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा तथा कोषालय अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करे ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-30 में दर्शाये गये 34 कोषालयों/ उपकोषालयों द्वारा दृढ़ कक्ष से संबंधी वर्ष 2006-07 का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है ।

### **3.8.2 कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में पहरेदारों की स्थिति निर्धारित करने वाले बीट चार्ट न लगाये जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 90 (3) के अनुसार सुदृढ़ कक्ष के पहरे के दौरान संतरियों की स्थिति को दर्शाने वाला बीट चार्ट जिला आरक्षी अधीक्षक से प्राप्त कर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान परिशिष्ट संख्या-31 में दर्शाये गये कोषालयों/उपकोषालयों में उक्त नियम के अनुसार बीट चार्ट प्रदर्शित नहीं किया गया ।

### **3.8.3 कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखे बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेट्स तीन वर्ष पश्चात वापिस न लिया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 47(1) के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषालय अथवा उपकोषालय के कक्ष में रखी नगदी की तिजोरी/सीलबन्द लिफाफा, जमाकर्ता अधिकारी के द्वारा प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के अंदर वापिस लिया जाना चाहिये । इसके पश्चात यदि जमाकर्ता तिजोरी/सीलबन्द लिफाफे को कोषालय/ उपकोषालय में पुनः जमा करना उचित समझता है तो, उसे इस संबंध में प्रथम जमा की तरह कार्यवाही करना चाहिए ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-32 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों एवं उपकोषालयों के दृढ़ कक्ष में रखे मूल्यवान वस्तुओं के पैकेट्स उनके प्रथम जमा के दिनांक से तीन वर्ष के उपरांत भी जमाकर्ता द्वारा वापिस नहीं लिया गया है ।

### **3.8.4 कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखे विभागीय दोहरी चाबियों के पैकेट्स वर्ष के अंत में परिवर्तित न किया जाना**

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 85 के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के पैकेट्स को प्रतिवर्ष माह अप्रैल में परिवर्तित कर पुनः नवीन मुद्रा दृढ़कक्ष में वापिस लेना चाहिये ।

कोषालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-33 में दर्शाये अनुसार कोषालय/उपकोषालय के दृढ़ कक्ष में रखी गई दोहरी चाबियों के पैकेट्स को जमाकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल में परिवर्तित नहीं किया गया है ।

### 3.8.5 खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 20, 21 एवं 22 के तहत कोषालय में खजांची धनराशि के लेन देन के लिए उत्तरदायी होता है । कलेक्टर का यह देखने का कर्तव्य है कि खजांची ने शासन को हानि से बचाने हेतु यथोचित मात्रा में जमानत प्रस्तुत की है । आयुक्त कोष एवं लेखा के पत्र क्रमांक स्था./दो/12/87-98 दिनांक 24.1.97 द्वारा पुनरीक्षित किये जाने पर भण्डार लिपिक से रू. 3000.00 एवं रोकड़िया से रू. 5000.00 प्रतिभूति प्राप्त की जानी चाहिए ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-34 में दर्शाये गये 24 कोषालय/उपकोषालयों द्वारा खजांची तथा भण्डार लिपिक से उक्त नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गई है ।

### 3.9 मुद्रांक लेखों का संधारण

#### 3.9.1 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न किया जाना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (एच) के अनुसार दिनांक 1.6.01 से कोषालय से देय कमीशन/दलाली (ब्रोकरेज) यदि एक वित्तीय वर्ष में कमीशन की राशि रू.2500.00 से अधिक है तो सम्पूर्ण राशि पर समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार कोषालय अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले ऐसे कमीशन या ब्रोकरेज पर आयकर एवं अधिभार की कटौती स्रोत पर ही की जानी चाहिये ।

समीक्षा वर्ष 2006-07 में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा दिनांक 1.6.01 से अनुज्ञप्त मुद्रांक विक्रेताओं को विक्रय किये गये मुद्रांकों पर देय कमीशन/छूट से समय समय पर निर्धारित दर से आयकर एवं अधिभार की राशि रू. 17089994.00 कटौती स्रोत से नहीं की गई है । जिसका विवरण परिशिष्ट संख्या-35 में दर्शाया गया है ।

#### 3.9.2 मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्र.डी.टी.ए./ज-16/70-71 /2394, दिनांक 9.4.71 के पैरा (8) के अनुसार कोषालय हेतु 15 माह के तथा उपकोषालय हेतु 3 माह के विक्रय हेतु आवश्यक स्टाम्प ही रखे जाने चाहिये ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-36 में दर्शाये गये विवरण अनुसार कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा राशि रू. 18299.92 लाख निर्धारित सीमा से अधिक/अनावश्यक भण्डारण रखा गया है ।

### **3.9.3 कोषालयों/उपकोषालयों के अभिलेख में मुद्रांकों का कम पाया जाना**

विभिन्न कोषालयों/उपकोषालयों के निरीक्षणों में पाया गया मुद्रांक प्रदायकर्ता एजेंसी/कार्यालय द्वारा इन्वॉइस में दर्शाई गई मुद्रांकों की संख्या एवं राशि के संदर्भ में कोषालयों/उपकोषालयोंकी डबल लॉक पंजी में दर्ज किये गये मुद्रांकों की संख्या एवं राशि कम अंकित की गई है जिससे प्रदायकर्ता अधिकारी के आंकड़ों तथा प्राप्तिकर्ता अधिकारी के आंकड़ों में भिन्नता उत्पन्न हुई है ।

वर्ष 2006-07 में उक्त प्रकरणों की समीक्षा करने पर कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा मुख्यता यही उत्तर दिया गया कि प्रदायकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदाय किये गये सील्ड पैकेट को खोलने पर उसमें वास्तविक रूप से कम मुद्रांक पाये गये जिसके संबंध में तत्काल पंचनामा तैयार करने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही की गई है । समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुछ मामलों में काफी अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी अंतर राशियों के कम पाये गये मुद्रांकों के निराकरण हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

कम पाये गये मुद्रांकों एवं उनसे संबंधित राशियों का विवरण परिशिष्ट संख्या-37 में दर्शाये गये हैं ।

### **3.9.4 मुद्रांक पंजी के भौतिक सत्यापन में रू. 10000.00 के स्टाम्पस कम पाया जाना**

उपकोषालय सनावद, जिला खरगौन के ज्यूडिशियल स्टाम्प पंजी डबल लॉक की समीक्षा में पाया गया कि दिनांक 8.12.05 को रू. 779109.00 का शेष था, किन्तु संयुक्त संचालक इंदौर द्वारा भौतिक सत्यापन में रू. 769109.00 का शेष पाया गया फलस्वरूप पंजी में रू. 769109.00 को वास्तविक शेष मानकर आगे के शेष इसी प्रकार लिये गये । इस प्रकार भौतिक सत्यापन में राशि रू. 10000.00 का कम स्टॉक पाया गया । पुनः दि. 5.12.05 को पंजी के शेष में रू. 10000.00 जोड़कर रू. 761609.00 के स्थान पर 771609.00 से शेष की संगणना की गई है । इस प्रकार राशि रू. 10000.00 के स्टाम्प जो भौतिक सत्यापन में कम पाये गये थे को बढ़ाया गया है । उक्त कांट छांट के मामले में उच्च अधिकारियों को न तो अवगत कराया गया है और न ही कोई अनुमति प्राप्त कर ली गई है । अतः रू. 10000.00 के कम पाये गये स्टाम्प के अभिलेख में कांट छांट किया जाने से अभिलेख की सत्यता संदिग्ध है जिसके पूर्ण सत्यापन की आवश्यकता है ।



### 3.9.5 मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत रूप से कमीशन प्रदाय करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 435 (अ) के अनुसार मुद्रांकों पर छूट मध्य प्रदेश मुद्रांक नियम 1942 के नियम 34 या न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अधीन मुद्रांकों का विक्रय विनियमित करने वाले नियमों के नियम 12 के अधीन निश्चित वर्गों के विक्रेताओं को अनुज्ञेय है । कोषालय अधिकारी के इस प्रमाण पत्र पर कि छूट वास्तविक रूप से पक्षकारों को जिन्हें वह देय थी, स्वीकृत नियमों के अनुसार पारित की गई है ।

निरीक्षण के दौरान विभिन्न कोषालय/उपकोषालय द्वारा संधारित न्यायिक मुद्रांकों की कमीशन पंजी तथा मुद्रांक विक्रेताओं के लायसेंसों की जांच में पाया गया है कि न्यायकेत्तर मुद्रांकों के विक्रय हेतु भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अधीन प्राप्त लायसेंस धारक मुद्रांक विक्रेताओं को ही, न्यायिक मुद्रांक जारी कर रू. 368863.00 अनाधिकृत रूप से कमीशन प्रदाय किया गया है । (परिशिष्ट संख्या-38)

### 3.9.6 मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

मध्य प्रदेश कोष संहिता भाग एक के सहायक नियम 171(फ) के अनुसार कोषालय अधिकारी संबंधित आयकर आयुक्त को रू. 250.00 तथा इससे अधिक के वैयक्तिकों को किये गये भुगतानों का एक तिमाही पत्रक भेजेगा । इसमें भुगतान ग्रहिताओं के नाम तथा पते तथा भुगतान की गई राशि बताई जायेगी जो उसके द्वारा शासन की ओर से कमीशन प्रदाय की गई है ।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट संख्या-39 में दर्शाये गये 42 कोषालयों एवं उपकोषालयों द्वारा उक्त नियमानुसार प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक संबंधित आयकर आयुक्त को नहीं भेजा गया ।

### 3.10 कोषालयों की सूचना तकनीकी लेखा परीक्षा में कम्प्यूटर प्रणाली/साफ्टवेयर में पाई गई कमियां

3.10.1 मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों में कम्प्यूटर प्रणाली का नेटवर्क आयुक्त कोष एवं लेखा, भोपाल के मुख्य सर्वर से जुड़ा हुआ है । अतः साफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की कमी को कोषालयों के निरीक्षण/आई.टी.आडिट के समय पाये जाने पर कोषालय/उपकोषालय अधिकारियों द्वारा उत्तर दिया गया है कि साफवेयर में आवश्यक सुधार आयुक्त कोष एवं लेखा के कार्यालय द्वारा किया जाना है । वर्ष 2006-07 में निरीक्षण किये सभी कोषालयों /उपकोषालयों अर्थात् 41 कोषालयों एवं 113 उपकोषालयों (परिशिष्ट संख्या-2 अनुसार ) के साफवेयर में मुख्य रूप से निम्न कमियां पाई गई:-

- (i) राज्य वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साफ्टवेयर में मु.शी. 2030 के अंतर्गत मुद्रांकों पर दी गई छूट/बट्टे की राशियों को बजट की उपलब्धता न होते हुये भी कम्प्यूटर मुख्य शीर्ष के अंतर्गत डेबिट दर्शाता है । प्रणाली में मुद्रांकों के जारी किये जाने में कमीशन की राशि को मुख्य शीर्ष 2030 के अंतर्गत आवंटित बजट की राशि से घटाया नहीं जा रहा है जिससे इस बजट के विरुद्ध व्यय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । अतः सिस्टम में उक्त बजटीय नियंत्रण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है ।
- (ii) अस्थाई आहरण अधिकारियों के संबंध में प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि में ही भुगतान सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिये । इस संबंध में कोषालय की एस. एफ.एम.एस. कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम में अस्थाई आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिये दोनों फील्डस (i) किस दिनांक..... (कबसे) तथा (ii) किस दिनांक.....तक सक्रिय नहीं रखे गये है ।
- निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में कोषालय स्तर पर अस्थाई आहरण अधिकारी के लिये केवल एक ही फील्ड 'कब से' क्रियाशील रखा गया है । 'कब तक' का फील्ड सक्रिय न रखे जाने के कारण अस्थाई आहरण अधिकारियों को प्राधिकार अवधि के बाद भी देयक पारित हो सकते है । अतः इनमें दोनों ही फील्डस क्रियाशील रखे जाने की सिस्टम में व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है ।
- (iii) कम्प्यूटर सिस्टम में सिंगल लाक पंजियां संधारित करने का कोई प्रावधान नहीं पाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग एक के सहायक नियम 94 एवं 95 (अ,ब) के विरुद्ध है ।
- (iv) कम्प्यूटर में वेतन देयक की प्रविष्टि करने के संबंध में ए.जी.बी.टी. एवं ट्रेजरी बी.टी. की मदों को संबंधित कालम में ही स्वीकार करने का चेक नहीं है जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय में कोषालय उचंत की राशियों में वृद्धि हो रही है ।
- (v) फ्रन्ट डेस्क काउन्टर पर लगे कम्प्यूटर्स पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्केन किये हुए प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार अधिकृत वाहक की पहचान स्वरूप उसका स्केन किया गया फोटो एवं हस्ताक्षर भी नहीं रखे गये हैं ।
- (vi) मुख्य शीर्षों एवं लघु शीर्षों की सूची में वर्णित मुख्य शीर्ष 0037, 0406 तथा 1601 केन्द्र सरकार की विभिन्न प्राप्तियों से संबंधित शीर्ष हैं, जिनमें राज्य शासन द्वारा

प्राप्तियां नहीं दर्शाई जाना चाहिये अपितु निर्धारित प्रक्रियानुसार उक्त प्राप्तियों की राशियों को 8658—उचंत शीर्ष के माध्यम से मासिक लेखों में महालेखाकार को प्रेषित किया जाना चाहिये ।

उदाहरण स्वरूप विन्ध्याचल कोषालय द्वारा निम्न विवरण अनुसार त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण कर, प्राप्तियों की राशियों को केन्द्र सरकार से संबंधित मुख्य शीर्षों में जमा दर्शा कर मासिक लेखों को तैयार किया गया है ।

मुख्य शीर्ष	विवरण	राशि रू.	मद संख्या
0037	सीमा शुल्क	2800.00	(1)
0406	फारेस्ट्री एण्ड वाइल्ड लाइफ	8000.00	(4)
1601	केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान	234176157.00	(12)
	<b>योग</b>	<b>234186157.00</b>	

### 3.10.2 मध्य प्रदेश कोष संहिता के नियम 27 के माध्यम से राशियों का अनियमित आहरणों पर नियंत्रण न होना

मध्य प्रदेश कोष संहिता के नियम 27 के अनुसार प्राकृतिक आपदा के समय हितग्राहियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति से बिना बजट के राशियों का आहरण किया जा सकता है जिसका समयोजन एक माह के अंदर करना भी अनिवार्य है ।

मध्य प्रदेश स्थित सभी कोषालयों/उपकोषालयों की कम्प्यूटर प्रणाली के टी.आर. 27 फील्ड की जांच करने पर पाया गया कि स्वीकृत क्रमांक एवं दिनांक के अनिवार्य क्रियाशील फील्ड में काल्पनिक (डमी) डाटा भरने पर भी देयकों को पारित किया जा रहा है । यहां तक कि उक्त अनिवार्य फील्ड में शब्द “निरंक” भरने पर भी राशियों का आहरण किया जा सकता है । उक्त कमी के कारण परिशिष्ट संख्या-16 में दिये गये विवरण अनुसार राशि रू. 4831829679.00 का भुगतान प्राकृतिक आपदा के मुख्य शीर्ष 2245 के अलावा अन्य मुख्य शीर्षों जैसे 2049—व्यय अदायगी, 6003—केन्द्र सरकार के ऋण की वापसी, 6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज एवं 2225—आदिम जाति कल्याण आदि भी टी.आर. 27 से किया गया है ।

### 3.10.3 कोषालयीन कम्प्यूटर प्रणाली के संचालन में संरक्षण एवं सुरक्षा का अभाव

वर्ष 2006—07 में विभिन्न कोषालयों के निरीक्षण/आई.टी. ऑडिट के दौरान पाया गया कि कोषालयों में कार्य के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटर प्रणाली लागू तो की गई है परंतु प्रणाली के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु व्यापक उपाय नहीं किये गये हैं । इस संबंध में जिला

कोषालय भोपाल, विन्ध्याचल कोषालय (भोपाल) एवं जिला कोषालय सतना की कम्प्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित कमियां पाई गई :-

(i) कम्प्यूटर कक्ष तथा इसमें स्थापित कम्प्यूटर वस्तुओं, सर्वर आदि को आग से बचाने के लिए अग्निशामन यंत्र कम्प्यूटर कक्ष में स्थापित होना नहीं पाया गया और न ही धूल जो कि कम्प्यूटर की बोर्ड एवं अन्य कम्प्यूटर हार्डवेयर का मुख्य अवरोध है, से बचाने के लिये कोई उपाय नहीं किये गये हैं ।

(ii) कम्प्यूटर सिस्टम में विद्युत व्यवस्था बाधित न होने की दृष्टि से यू.पी.एस. एवं बैटरियों को अलग स्विच रूम में स्थापित होना नहीं पाया गया ।

(iii) कम्प्यूटर प्रणाली के सुचारु संचालक हेतु "एन्टी वायरस पालिसी" कम्प्यूटर में स्थापित कर उसे अद्यतन किया जाना आवश्यक है परंतु भोपाल कोषालय में एन्टी वायरस पालिसी दिनांक 26.6.06 तक अद्यतन है । उसके उपरांत इसे खत्म नहीं किया गया है ।

(iv) डिजास्टर अथवा डाटा बेस क्रैश होने की स्थिति में डाटा प्राप्त करने के लिये डिजास्टर रिकवरी प्लान का तैयार किया जाना नहीं पाया गया और न ही दैनिक डाटा को रिट्रीव करने संबंधित कोई उपाय किया जाना पाया गया ।

(v) मूल साफ्टवेयर, नवीनतम संस्करण तथा बैकअप आदि को अग्नि, अन्य क्षतिकारक यंत्रों एवं जोखिमों से बचाने के लिये अग्नि-रक्षित कैबिनेटों में रखने हेतु कोई सुविधा नहीं है और न ही अग्नि पहचान यंत्रों, श्रव्य संकेतो की व्यवस्था कोषालयों में रखी गई है ।

(vi) कम्प्यूटर प्रणाली की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कक्ष एवं सुरक्षा मैनेजर की स्थापना नहीं की गई है ।

(vii) हार्डवेयर वस्तुओं के सत्यापन हेतु न तो कोई हार्डवेयर तालिका पंजी संधारित होना पाया गया और न ही हार्डवेयर वस्तुओं के संधरण हेतु किसी उत्तरदायी अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।

(viii) हार्डवेयर की खराबी तथा सुधार संबंधी लॉगबुक संधारण होना नहीं पाया गया ।

(ix) बैकअप की उपलब्धता को जांचने के लिये डाटा को नियमित अंतराल पर जांच किये जाने संबंधित भी कोई अभिलेख संधारित होना नहीं पाया गया ।

**परिशिष्ट संख्या-1**

**मध्य प्रदेश स्थित कोषालयों/ उपकोषालयों की सूची**

सरल क्रमांक	कोषालय का नाम	उपकोषालय का नाम
1	अनूपपुर	1. पुष्पराजगढ़
2	अशोकनगर	2. चंदेरी 3. मुंगावली
3	भोपाल	4. वैरसिया
4	बालाघाट	5. बैहर 6. वारासिवनी 7. कटंगी 8. लांजी
5	बड़वानी	9. राजपुर 10. पानसमल 11. सेंधवा
6	बैतूल	12. मुलताई 13. भैंसदेही 14. शाहपुर
7	भिण्ड	15. गोहद 16. लहार 17. मेहगांव 18. अटेर
8	छतरपुर	19. नौगांव 20. बिजावर 21. बक्सवाहा 22. लौंडी 23. राजनगर
9	छिन्दवाड़ा	24. सौंसर 25. पांडुरना 26. अमरवाड़ा 27. जुन्नारदेव 28. परासिया
10	दतिया	29. भांडेर 30. सेवढ़ा
11	देवास	31. बागली 32. खातेगांव 33. सोनकच्छ 34. कन्नौद
12	धार	35. बदनावर 36. कुक्षी 37. धरमपुरी 38. मनावर 39. सरदारपुर 40. गंधवानी
13	डिण्डोरी	—
14	बुरहानपुर	—
15	दमोह	41. हटा 42. तेंदूखेड़ा

16	गुना	43. आरोन 44. चाचौड़ा 45. राधौगढ़
17	ग्वालियर	46. डबरा
18	होशंगाबाद	47. इटारसी 48. पचमढी 49. सिवनीमालवा 50. सोहागपुर 51. पिपरिया 52. बाबई
19	हरदा	—
20	इंदौर	53. देपालपुर 54. महु 55. सावेर
21	इंदौर सिटी	56. इंदौर
22	जबलपुर	57. सिहोरा 58. पाटन
23	जबलपुर सिटी	—
24	झाबुआ	59. अलीराजपुर 60. जोबट 61. पेटलावद 62. थांदला
25	कटनी	63. विजयराधवगढ़
26	खण्डवा	64. नयाहरसूद 65. नर्मदानगर
27	खरगोन	66. बड़वाह 67. भीकनगांव 68. कसरावद 69. महेश्वर 70. सनावद 71. सेगांव 72. मण्डलेश्वर
28	मण्डला	73. नैनपुर 74. निवास
29	मुरैना	75. सबलगढ़ 76. अम्बाह 77. जौरा
30	मोतीमहल	—
31	मन्दसौर	78. भानपुरा 79. गरोट 80. मल्हारगढ़ 81. सीतामऊ 82. सुवासरा
32	नरसिंहपुर	83. गाडरवाड़ा 84. करेली 85. गोटेगांव
33	नीमच	86. रामपुरा 87. जावद 88. मनासा

		89. सिंगौली
34	पन्ना	90. अजयगढ़ 91. पवई 92. शाहनगर
35	रायसेन	93. बेगमगंज 94. सिलवानी 95. बरेली 96. गौहरगंज 97. गैरतगंज 98. उदयपुरा
36	राजगढ़	99. ब्यावरा 100. नरसिंहगढ़ 101. सारंगपुर 102. खिलचीपुर 103. जीरापुर
37	रतलाम	104. आलोट 105. जावरा 106. सैलाना 107. बाजना
38	रीवा	108. हनुमना 109. मऊगंज 110. सिरमौर 111. त्योंथर
39	शिवपुरी	112. करेरा 113. पिछोर 114. कोलारस 115. पोहरी
40	सागर	116. खुरई 117. बीना 118. रहली 119. देवरी 120. गढ़ाकोटा 121. बण्डा
41	श्यापुर	122. विजयपुर
42	सतना	123. नागौद 124. मैहर 125. अमरपाटन 126. रामपुर बधेलान
43	सीहोर	127. आष्टा 128. नसरुल्लागंज 129. बुदनी 130. इच्छावर 131. दौराहा
44	सिवनी	132. लखनादौन 133. केवलारी
45	शहडोल	134. ब्योहार
46	शाजापुर	135. आगर 136. शुजालपुर 137. सुसनेर

47	सीधी	138. सिंगरौली (बैढ़न) 139. चुरहट 140. देवसर 141. मझौली 142. चितरंगी 143. कुसमी 144. सिंहावल
48	उमरिया	—
49	टीकमगढ़	145. जतारा 146. निवाड़ी
50	उज्जैन	147. महिदपुर 148. तराना 149. नागदा 150. बड़नगर 151. खाचरौद 152. घटिया
51	वल्लभ भवन	—
52	विदिशा	153. नटेरन 154. सिरोंज 155. शमशाबाद 156. ग्यारसपुर 157. लटेरी 158. कुरवाई 159. गंजवासौदा
53	विन्ध्याचल	—



**परिशिष्ट संख्या-2**

**वर्ष 2006-07 के दौरान निरीक्षण किये गये कोषालयों/उपकोषालयों की सूची**

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	निरीक्षण/व्यय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	अवधि
1	कोषा. भोपाल	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	9/05 से 8/06
2	उपकोषा. बैरसिया	निरीक्षण	12/05 से 11/06
3	कोषा. विन्ध्याचल भवन	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	4/05 से 5/06
4	कोषा. वल्लभ भवन	---"---	3/06 से 2/07
5	कोषा. बैतूल	---"---	9/05 से 8/06
6	उपकोषा. मुलताई	निरीक्षण	9/05 से 8/06
7	उपकोषा. भैंसदेही	---"---	8/05 से 7/06
8	उपकोषा. शाहपुर	---"---	9/05 से 8/06
9	कोषा. होशंगाबाद	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	5/05 से 5/06 12/03 से 5/06
10	उपकोषा. इटारसी	निरीक्षण	1/06 से 12/06
11	उपकोषा. पचमढी	---"---	9/05 से 9/06
12	उपकोषा. सिवनीमालवा	---"---	1/06 से 12/06
13	उपकोषा. सोहागपुर	---"---	9/05 से 10/06
14	उपकोषा. पिपरिया	---"---	9/05 से 10/06
15	उपकोषा. बाबई	---"---	1/06 से 12/06
16	कोषा. हरदा	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	2/05 से 8/06 12/02 से 8/06
17	कोषा. विदिशा	---"---	5/05 से 8/06
18	उपकोषा. कुरवाई	निरीक्षण	12/05 से 11/06
19	कोषा. ग्वालियर	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	12/05 से 12/06
20	उपकोषा. डबरा	निरीक्षण	3/06 से 2/07
21	कोषा. मोतीमहल	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	7/05 से 6/06
22	कोषा. अशोकनगर	---"---	11/04 से 4/06 11/03 से 4/06
23	उपकोषा. चन्देरी	निरीक्षण	11/04 से 4/06
24	उपकोषा. मुंगावली	---"---	11/04 से 4/06
25	कोषा. शिवपुरी	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	3/06 से 2/07
26	उपकोषा. करेरा	निरीक्षण	2/06 से 1/07
27	उपकोषा. पिछोर	---"---	2/06 से 1/07
28	उपकोषा. कोलारस	---"---	2/06 से 1/07
29	उपकोषा. पोहरी	---"---	2/06 से 1/07
30	कोषा. दतिया	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	3/05 से 10/06 2/03 से 10/06
31	उपकोषा. भाण्डेर	निरीक्षण	3/05 से 9/06
32	उपकोषा. सेवढा	---"---	3/05 से 9/06
33	कोषा. भिण्ड	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	3/06 से 2/07
34	उपकोषा. गोहद	निरीक्षण	11/05 से 10/06
35	उपकोषा. लहार	---"---	3/06 से 2/07

36	उपकोषा. मेहगांव	निरीक्षण	11/05 से 10/06
37	उपकोषा. अटेर	---"---	3/06 से 2/07
38	<b>कोषा. मुरैना</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	3/06 से 2/07
39	उपकोषा. सवलगढ़	निरीक्षण	11/05 से 10/06
40	उपकोषा. अम्बाह	---"---	3/06 से 2/07
41	उपकोषा. जौरा	---"---	3/06 से 2/07
42	<b>कोषा. श्योपुर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	10/04 से 5/06
43	उपकोषा. विजयपुर	निरीक्षण	10/04 से 5/06
44	<b>कोषा. इंदौर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	1/06 से 12/06
45	उपकोषा. देपालपुर	निरीक्षण	1/06 से 12/06
46	उपकोषा. महु	---"---	2/06 से 12/06
47	उपकोषा. सांवेर	---"---	1/06 से 12/06
48	<b>नगर कोषा. इंदौर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	1/06 से 1/07
49	उपकोषा. इंदौर	निरीक्षण	1/06 से 1/07
50	<b>कोषा. धार</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	2/06 से 1/07
51	उपकोषा. बदनावर	निरीक्षण	1/06 से 1/07
52	उपकोषा. कुक्षी	---"---	8/05 से 6/06
53	उपकोषा. धरमपुरी	---"---	8/05 से 7/06
54	उपकोषा. मनावर	---"---	10/05 से 9/06
55	उपकोषा. सरदारपुर	---"---	10/05 से 9/06
56	उपकोषा. गंधवानी	---"---	10/05 से 9/06
57	<b>कोषा. झाबुआ</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	8/05 से 7/06
58	उपकोषा. अलीराजपुर	निरीक्षण	7/05 से 6/06
59	उपकोषा. जोबट	---"---	7/05 से 6/06
60	उपकोषा. पेटलावद	---"---	7/05 से 6/06
61	उपकोषा. थांदला	---"---	7/05 से 6/06
62	<b>कोषा. खरगौन</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	7/05 से 6/06
63	उपकोषा. बडवाह	निरीक्षण	11/05 से 10/06
64	उपकोषा. भीकनगांव	---"---	8/05 से 7/06
65	उपकोषा. कसरावद	---"---	10/05 से 10/06
66	उपकोषा. महेश्वर	---"---	10/05 से 9/06
67	उपकोषा. सनावद	---"---	11/05 से 10/06
68	उपकोषा. सैगांव	---"---	10/05 से 10/06
69	उपकोषा. मण्डलेश्वर	---"---	10/05 से 9/06
70	<b>कोषा. बड़वानी</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	7/05 से 6/06
71	उपकोषा. राजपुर	निरीक्षण	8/05 से 7/06
72	उपकोषा. पानसेमल	---"---	7/05 से 6/06
73	उपकोषा. सेंधवा	---"---	8/05 से 7/06
74	<b>कोषा. बुरहानपुर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	1/05 से 6/06
75	<b>कोषा. खण्डवा</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	3/06 से 1/07
76	उपकोषा. नयाहरसूद (छनेरा)	निरीक्षण	1/06 से 12/06
77	उपकोषा. पुनाला (नर्मदानगर)	---"---	1/06 से 12/06
78	<b>कोषा. उज्जैन</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	2/06 से 1/07
79	उपकोषा. महिदपुर	निरीक्षण	3/06 से 2/07
80	उपकोषा. तराना	---"---	3/06 से 2/07

81	उपकोषा. नागदा	निरीक्षण	2/03 से 4/06
82	उपकोषा. बड़नगर	---"---	2/06 से 1/07
83	उपकोषा. खाचरौंद	---"---	3/06 से 2/07
84	उपकोषा. घटिया	---"---	8/05 से 8/06
85	<b>कोषा. रतलाम</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	8/05 से 8/06
86	उपकोषा. आलोट	निरीक्षण	7/05 से 8/06
87	उपकोषा. बाजना	---"---	7/05 से 7/06
88	<b>कोषा. नीमच</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	7/04 से 3/06
89	उपकोषा. रामपुरा	निरीक्षण	5/05 से 4/06
90	उपकोषा. जावद	---"---	1/03 से 3/06
91	उपकोषा. मनासा	---"---	1/03 से 3/06
92	उपकोषा. सिंगौली	---"---	7/04 से 3/06
93	<b>कोषा. सागर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	11/05 से 10/06
94	उपकोषा. खुरई	निरीक्षण	5/05 से 5/06
95	उपकोषा. बीना	---"---	6/05 से 5/06
96	उपकोषा. रहली	---"---	5/05 से 5/06
97	उपकोषा. देवरी	---"---	5/05 से 5/06
98	उपकोषा. गढ़ाकोटा	---"---	11/05 से 10/06
99	उपकोषा. बण्डा	---"---	1/06 से 1/07
100	<b>कोषा. पन्ना</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	10/04 से 3/06
101	उपकोषा. अजयगढ़	निरीक्षण	9/04 से 3/06
102	उपकोषा. पवई	---"---	12/04 से 3/06
103	उपकोषा. शाहनगर	---"---	9/04 से 3/06
104	<b>कोषा. छतरपुर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	6/05 से 5/06
105	उपकोषा. नौगांव	निरीक्षण	5/05 से 5/06
106	उपकोषा. बिजावर	---"---	5/05 से 4/06
107	उपकोषा. बक्सवाहा	---"---	5/05 से 4/06
108	उपकोषा. लौंडी	---"---	5/05 से 4/06
109	उपकोषा. राजनगर	---"---	5/05 से 4/06
110	<b>कोषा. जबलपुर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	4/05 से 3/06
111	उपकोषा. सिहोरा	निरीक्षण	6/05 से 4/06
112	उपकोषा. पाटन	---"---	6/05 से 5/06
113	<b>नगर कोषा. जबलपुर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	4/05 से 3/06
114	<b>कोषा. छिन्दवाड़ा</b>	---"---	10/05 से 9/06
115	उपकोषा. सौंसर	निरीक्षण	11/05 से 11/06
116	उपकोषा. पांडुरना	---"---	6/05 से 5/06
117	उपकोषा. अमरवाड़ा	---"---	6/05 से 5/06
118	उपकोषा. जुन्नारदेव	---"---	6/05 से 5/06
119	उपकोषा. परासिया	---"---	6/05 से 5/06
120	<b>कोषा. मण्डला</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	11/05 से 12/06
121	उपकोषा. नैनपुर	निरीक्षण	12/05 से 12/06
122	उपकोषा. निवास	---"---	12/05 से 12/06
123	<b>कोषा. सिवनी</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	10/05 से 9/06
124	उपकोषा. लखनादौन	निरीक्षण	6/05 से 5/06
125	उपकोषा. केवलारी	---"---	10/05 से 9/06

126	<b>कोषा. बालाघाट</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	5/05 से 4/06
127	उपकोषा. बैहर	निरीक्षण	8/05 से 7/06
128	उपकोषा. वारासिवनी	---"---	12/05 से 11/06
129	उपकोषा. कटंगी	---"---	12/05 से 11/06
130	उपकोषा. लांजी	---"---	12/05 से 11/06
131	<b>कोषा. कटनी</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	9/04 से 3/06
132	उपकोषा. विजयराधवगढ़	निरीक्षण	5/05 से 4/06
133	<b>कोषा. रीवा</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	9/05 से 8/06
134	उपकोषा. हनुमना	निरीक्षण	11/05 से 10/06
135	उपकोषा. मऊगंज	---"---	9/05 से 8/06
136	उपकोषा. सिरमौर	---"---	9/05 से 8/06
137	उपकोषा. त्योंथर	---"---	9/05 से 8/06
138	<b>कोषा. सतना</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	12/05 से 12/06
139	उपकोषा. नागौद	निरीक्षण	9/05 से 8/06
140	उपकोषा. मैहर	---"---	12/05 से 12/06
141	उपकोषा. अमरपाटन	---"---	9/05 से 8/06
142	उपकोषा. रामपुर वधेलान	---"---	12/05 से 11/06
143	<b>कोषा. सीधी</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	12/05 से 11/06
144	उपकोषा. बैढन (सिंगरौली)	निरीक्षण	8/05 से 7/06
145	उपकोषा. कुसमी	---"---	11/05 से 10/06
146	उपकोषा. चुरहट	---"---	12/05 से 11/06
147	उपकोषा. देवसर	---"---	12/05 से 11/06
148	उपकोषा. मझौली	---"---	12/05 से 10/06
149	उपकोषा. चितरंगी	---"---	9/05 से 7/06
150	उपकोषा. सिंहावल	---"---	9/05 से 8/06
151	<b>कोषा. शहडोल</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	12/05 से 11/06
152	उपकोषा. ब्यौहारी	निरीक्षण	12/05 से 11/06
153	<b>कोषा. अनूपपुर</b>	निरीक्षण एवं व्यय लेखा	12/04 से 11/06 11/03 से 11/06
154	उपकोषा. पुष्पराजगढ़	निरीक्षण	12/04 से 5/06

**परिशिष्ट संख्या-3**

**(पैरा-2.1.1)**

**वर्ष 2006-07 में कोषालय द्वारा गलत शीर्षों में वर्गीकरण कर लेखा भेजा जाना**

कोषालय का नाम	माह	गलत शीर्ष जिसमें वर्गीकरण किया गया	सही शीर्ष जिसमें वर्गीकरण किया जाना था	राशि
भिण्ड	4/06	8782-104-सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रेषण	8011-106-अन्य बीमा तथा पेंशन निधि	472.00
भोपाल	4/06	8451-101-दावे और राहत निधि	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	25000.00
रतलाम	4/06	8009-01-102-अंशदायी भविष्य निधि	8009-01-101-सामान्य भविष्य निधि	3000.00
भिण्ड	6/06	8448-120-अन्य निधियां	8011-106- अन्य बीमा तथा पेंशन निधि रु. 1154.00 8011-107- राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना रु. 600.00	1734.00
श्यापुर	6/06	राज्य अदायगी सूची में दर्ज योग एवं संवरण सार में भुगतान के योग में रूपये 1400 का अंतर था	2014-न्याय प्रशासन	1400.00
मुरैना	8/06	0032-धन कर	0216-आवास	187.00
जबलपुर सिटी	9/06	8782-106-छोटे सिक्कों के डिपुओं को प्रेषण	8782-102-लोक निर्माण प्रेषण	831000.00
मुरैना	10/06	8789-201-रक्षा के साथ समायोजन लेखा, भ.नि.अ.	8658-102-उचंत लेखा (सिविल)	4732.00
रतलाम	11/06	8782-101-खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नगद प्रेषण	8782-102-लोक निर्माण प्रेषण	1650.00
रतलाम	12/06	0020-निगम कर	0040-विक्री, व्यापार आदि पर कर	45000.00
श्यापुर	1/07	8782-101-खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नगद प्रेषण	8782-103-वन प्रेषण	1000.00
ग्वालियर	3/07	0221-प्रसारण	0028-आय तथा व्यय पर अन्य कर	300.00
ग्वालियर	3/07	8782-108-अन्य विभागीय प्रेषण	8670-103-विभागीय चैक	300000.00
ग्वालियर	3/07	8782-101-खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नगद प्रेषण	8782-102-लोक निर्माण प्रेषण	691690.00

**परिशिष्ट संख्या-4**

(पैरा-2.1.2)

**वर्ष 2006-07 में कोषालय उचंत शीर्ष में दर्ज राशि तथा उनका निराकरण संबंधी विवरण**

**प्राप्ति पक्ष**

स.क.	कोषालय का नाम	दर्ज मद संख्या	राशि	निराकृत मद संख्या	राशि	लंबित मद संख्या	राशि
1	भोपाल	3	32000	3	32000	—	—
2	विन्ध्याचल	1	7042	1	7042	—	—
3	रायसेन	2	947555	1	2388	1	945167
4	रीवा	1	26271	1	26271	—	—
5	श्यापुर	1	1400	1	1400	—	—
6	विदिशा	1	400	1	400	—	—
7	बैतूल	1	1020	1	1020	—	—
		1	(-)275	—	—	1	(-)275
8	उज्जैन	2	5660	2	5660	—	—
9	सागर	2	840005	1	818849	1	21156
10	खण्डवा	1	78289	1	78289	—	—
11	उमरिया	1	1625	1	1625	—	—
12	भिण्ड	1	(-)21560	1	(-)21560	—	—
13	डिण्डोरी	2	18576	1	7757	1	10819
14	सीधी	1	(-)370	—	—	1	(-)370
	<b>योग</b>	<b>21</b>	<b>1959843</b>	<b>16</b>	<b>982701</b>	<b>5</b>	<b>977142</b>
			<b>(-)22205</b>		<b>(-)21560</b>		<b>(-)645</b>

**अदायगी पक्ष**

1	भोपाल	2	(-)1433300	—	—	2	(-)1433300
2	शहडोल	1	149532	1	149532	—	—
3	रायसेन	2	1347	2	1347	—	—
4	जबलपुर	1	12876	—	—	1	12876
5	सागर	1	426861	1	426861	—	—
6	खण्डवा	1	78289	1	78289	—	—
7	ग्वालियर	1	54718	1	54718	—	—
8	होशंगाबाद	1	11970	1	11970	—	—
		1	(-)49833	1	(-)49833	—	—
9	बैतूल	1	76708	—	—	1	76708
10	दतिया	1	300	—	—	1	300
11	सीहोर	1	90	—	—	1	90
	<b>योग</b>	<b>14</b>	<b>812691</b>	<b>8</b>	<b>722717</b>	<b>6</b>	<b>89974</b>
			<b>(-)1483133</b>		<b>(-)49833</b>		<b>(-)1433300</b>

**परिशिष्ट संख्या-5**

**(पैरा-2.2)**

**अप्राप्त रेलवे पेंशन दावे के प्रमाणकों का विवरण**

**पश्चिम रेलवे**

माह	कोषालय	राशि रु.	कोषालय	राशि रु.
9/03	इंदौर	20305	होशंगाबाद	—
2/04	—"—	36356	—"—	—
3/04	—"—	23741	—"—	5190
5/04	—"—	23741	—"—	5190
11/04	—"—	23834	—"—	—
3/05	—"—	22742	—"—	15264
<b>योग</b>		<b>150719</b>		<b>25644</b>
<b>कुल योग</b>				<b>176363</b>

**उत्तर रेलवे**

माह	कोषालय	राशि रु.
4/03	रीवा	4076
5/03	—"—	4076
6/03	—"—	2038
7/03	—"—	2038
8/03	—"—	2038
10/03	—"—	4076
11/03	—"—	4418
12/03	—"—	2076
1/04	—"—	4114
2/04	—"—	2382
<b>योग</b>		<b>31332</b>

**मध्य रेलवे**

कोषालय	माह	राशि	कोषालय	माह	राशि
दतिया	12/03	2752	शहडोल	11/03	2000
	2/04	2771		12/03	4000
होशंगाबाद	9/03	9774	दमोह	9/03	6182
जबलपुर	6/03	10243	रतलाम	10/03	12671
सीहोर	4/03	1721	रीवा	4/03	6038
	6/03	1721		6/03	2038
	7/03	1721		7/03	8038
	11/03	1785		8/03	4038
	12/03	1785		10/03	7248
	2/04	1785		2/04	4458
	3/04	1785		3/05	6384
इंदौर	6/03	1938	<b>योग</b>		<b>122157</b>
	4/04	19281			
<b>महायोग</b>	<b>(176363+31332+122157)= रु. 329852</b>				

परिशिष्ट संख्या-6

(पैरा-2.3)

वर्ष 2006-07 में वांछित रहे प्रमाणकों का विवरण

स.क्र.	कोषालय का नाम	दर्ज मद संख्या	राशि	निराकृत मद संख्या	राशि	लंबित मद संख्या	राशि
1	अशोकनगर	14	3108377	14	3108377	—	—
2	अनूपपुर	32	3439303	32	3439303	—	—
3	भोपाल	36	1935762	36	1935762	—	—
4	बड़वानी	19	530116	19	530116	—	—
5	बालाघाट	12	978505	12	978505	—	—
6	बैतूल	42	2190295	42	2190295	—	—
7	छतरपुर	6	3778001	6	3778001	—	—
8	भिण्ड	2	717761	2	717761	—	—
9	बुरहानपुर	3	301133	3	301133	—	—
10	छिन्दवाड़ा	12	7710812	12	7710812	—	—
11	धार	11	1602617	11	1602617	—	—
12	दतिया	7	324816	7	324816	—	—
13	डिण्डोरी	10	1428368	10	1428368	—	—
14	देवास	5	139992	5	139992	—	—
15	दमोह	8	928999	8	928999	—	—
16	गुना	1	194	1	194	—	—
17	ग्वालियर	7	359364	7	359364	—	—
18	होशंगाबाद	12	1485595	12	1485595	—	—
19	इंदौर	23	1276042	23	1276042	—	—
20	इंदौर सिटी	17	1419693	17	1419693	—	—
21	जबलपुर	25	758606	25	758606	—	—
22	झाबुआ	71	2293632	71	2293632	—	—
23	कटनी	3	4927742	3	4927742	—	—
24	खरगौन	9	362126	9	362126	—	—
25	मंदसौर	7	182604	7	182604	—	—
26	मोतीमहल	2	20974	2	20974	—	—
27	पन्ना	2	7380	2	7380	—	—
28	नरसिंहपुर	7	457314	7	457314	—	—
29	मण्डला	6	6419002	6	6419002	—	—
30	रायसेन	12	354681	12	354681	—	—
31	राजगढ़	10	387528	10	387528	—	—
32	रतलाम	3	3253706	3	3253706	—	—
33	रीवा	8	138440	8	138440	—	—
34	शिवपुरी	17	1174128	17	1174128	—	—
35	सागर	16	386202	16	386202	—	—
36	सिवनी	1	58665	1	58665	—	—
37	श्यापुर	7	4113263	7	4113263	—	—



38	शहडौल	3	76809	3	76809	—	—
39	सतना	25	605321	25	605321	—	—
40	सीहोर	2	228360	2	228360	—	—
41	टीकमगढ़	10	709640	10	709640	—	—
42	शाजापुर	8	277802	8	277802	—	—
43	उज्जैन	6	587265	6	587265	—	—
44	उमरिया	1	2000	1	2000	—	—
45	वल्लभ भवन	11	2469213	11	2469213	—	—
46	विन्ध्याचल	3	539917	3	539917	—	—
47	विदिशा	9	213085	9	213085	—	—
	<b>योग</b>	<b>563</b>	<b>31005405</b>	<b>563</b>	<b>31005405</b>	—	—

परिशिष्ट संख्या-7

(पैरा-2.4)

वर्ष 2006-07 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखे की जानकारी

सरल क्रमांक	कोषालय का नाम	लेखा माह	लेखा प्राप्त होने की तिथि	विलम्ब		
				5 -14 दिन	15-30 दिन	एक माह से अधिक
1	इंदौर सिटी	4 / 06	13.5.06	5	—	—
2	शहडोल	5 / 06	17.6.06	9	—	—
3	शहडोल	7 / 06	14.8.06	6	—	—
4	हरदा	7 / 06	18.8.06	10	—	—
5	अनूपपुर	7 / 06	19.8.06	11	—	—
6	श्यापुर	8 / 06	13.9.06	5	—	—
7	जबलपुर मेन	8 / 06	14.9.06	6	—	—
8	जबलपुर मेन	9 / 06	14.10.06	6	—	—
9	बालाघाट	9 / 06	16.10.06	8	—	—
10	बुरहानपुर	9 / 06	16.10.06	8	—	—
11	इंदौर मेन	9 / 06	16.10.06	8	—	—
12	झाबुआ	9 / 06	16.10.06	8	—	—
13	छतरपुर	9 / 06	19.10.06	11	—	—
14	रायसेन	10 / 06	30.11.06		22	—
15	उमरिया	11 / 06	14.12.06	6	—	—
16	हरदा	11 / 06	15.12.06	7	—	—
17	बैतूल	12 / 06	19.1.07	11	—	—
18	उज्जैन	1 / 07	13.2.07	5	—	—
19	राजगढ़	2 / 07	15.3.07	7	—	—
20	भोपाल	3 / 07	16.4.07	8	—	—

**परिशिष्ट संख्या-8**

**(पैरा-2.5)**

**जमा एवं अग्रिम के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों का निराकरण संबंधी विवरण**

**7610-शासकीय सेवकों को ऋण एवं अग्रिम**

क्र.	शीर्ष	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	निराकरण	अंतशेष
1	201-9084-ए.आई.एस. अधिकारियों को भवन निर्माण अग्रिम	निरंक	5742609.70	निरंक	5742609.70
2	202-5298-ए.आई.एस. अधिकारियों को वाहन अग्रिम	1322471.65	1581409	निरंक	2903880.65
	<b>कुल</b>	<b>1322471.65</b>	<b>7324018.70</b>	<b>-</b>	<b>8646490.35</b>

**मुख्य शीर्ष 8009 राज्य भविष्य निधि-01-101-0002-विभागीय भविष्य निधि**

क्र.	शीर्ष	प्रारंभिक शेष	वृद्धि	निराकरण	अंतशेष
1	2015-चुनाव	निरंक	259854.95	निरंक	259854.95
2	2029-भूराजस्व	निरंक	97267536.46	निरंक	97267536.46
3	2040-विक्रय कर	19915903.09	4539818.00	निरंक	24455721.09
4	2045-वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	291989.30	533135.00	निरंक	825124.30
5	2047-अन्य राजकोषीय सेवायें	715522.00	251161.00	निरंक	966683.00
6	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें	28679921.95	9023105.00	निरंक	37703026.95
7	2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	13176881.62	456530.00	निरंक	13633411.62
8	2202-शिक्षा	निरंक	19018271.95	निरंक	19018271.95
9	2203-तकनीकी शिक्षा	16600242.00	8890791.00	निरंक	25491033.00
10	2204-खेल एवं युवा सेवायें	12345340.00	निरंक	85797.00	12259543.00
11	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	139374072.35	91855884.00	निरंक	231229956.35
12	2401-बीज	निरंक	2545282.93	निरंक	2545282.93
13	2402-मुद्रा एवं जल संरक्षण	3221133.85	2965211.00	निरंक	6186344.85
14	2403-पशुपालन	89543664.32	39991805.00	निरंक	129535469.32
15	2405-मत्स्य पालन	17958481.15	1960569.00	निरंक	19919050.15
16	2406-वन एवं वन्य जीवन	77272592.31	103557705.00	निरंक	180830297.31
17	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12963233.50	4145137.00	निरंक	17108370.50
18	3054-सड़क एवं पुल	38158.00	निरंक	38158	निरंक
19	3456-सिविल सप्लाइस	75000.00	निरंक	75000.00	निरंक
20	2700/4700-सिंचाई	निरंक	12428911.00	निरंक	12428911.00
	<b>कुल</b>	<b>432172135.44</b>	<b>399690708.29</b>	<b>198955.00</b>	<b>831663888.73</b>

परिशिष्ट संख्या-9

(पैरा-2.6.1)

वर्ष 2005-2006 के लिए डाक जीवन बीमा की वांछित अनुसूचियों का विवरण

स.क्रं.	कोषालय का नाम	माह	दर्ज कुल राशि	प्राप्त कटौती पत्रक (राशि रू.)	वांछित कटौती पत्रक (राशि रू.)
1	अशोकनगर	4 / 06	2879	—	2879
2	बालाघाट	4 / 06	233	83	150
3	ग्वालियर	4 / 06	142	—	142
4	रायसेन	4 / 06	173	—	173
5	विन्ध्याचल भवन	4 / 06	300	—	300
6	ग्वालियर	5 / 06	348	—	348
7	जबलपुर	5 / 06	241	122	119
8	शाजापुर	5 / 06	194	184	10
9	रायसेन	6 / 06	139	104	35
10	विन्ध्याचल भवन	6 / 06	16	—	16
11	अनूपपुर	7 / 06	42	—	42
12	बालाघाट	7 / 06	83	56	27
13	रायसेन	7 / 06	894	69	825
14	शाजापुर	7 / 06	159	112	47
15	श्यापुर	7 / 06	514	376	138
16	विदिशा	7 / 06	8141	46	8095
17	विन्ध्याचल भवन	7 / 06	16	—	16
18	भोपाल	8 / 06	363	291	72
19	ग्वालियर	8 / 06	174	—	174
20	रीवा	8 / 06	11	—	11
21	रायसेन	8 / 06	499	104	395
22	विन्ध्याचल भवन	8 / 06	4259	—	4259
23	बालाघाट	9 / 06	83	56	27
24	भोपाल	9 / 06	320	280	40
25	जबलपुर	9 / 06	587	166	421
26	शिवपुरी	9 / 06	60	—	60
27	ग्वालियर	10 / 06	122	—	122
28	शिवपुरी	10 / 06	60	—	60
29	ग्वालियर	11 / 06	354	194	160
30	जबलपुर	11 / 06	310	216	94
31	रायसेन	11 / 06	2516	1260	1256
32	शिवपुरी	11 / 06	120	—	120
33	ग्वालियर	12 / 06	296	—	296
34	जबलपुर	12 / 06	172	122	50
35	रायसेन	12 / 06	862	534	328

36	अशोकनगर	2/07	560	—	560
37	रायसेन	2/07	536	398	138
38	शिवपुरी	2/07	120	—	120
39	अशोकनगर	3/07	5920	—	5920
40	जबलपुर	3/07	144	—	144
	<b>योग</b>		<b>32962</b>	<b>4773</b>	<b>28189</b>

परिशिष्ट संख्या-10

(पैरा-2.7)

वर्ष 2006-07 के लेखों का विवरण जो कम्प्यूटर से तैयार कर नहीं भेजे गये

स.क्र.	कोषालय का नाम	माह	जो लेखे कम्प्यूटर से तैयार कर नहीं भेजे गये	
			अदायगी सूची (राशि)	रोकड़ लेखा (राशि)
1	सीहोर	4 / 06	196896596.00	196896596.00
		5 / 06	241939498.00	241939498.00
		6 / 06	349880050.00	349880050.00
		7 / 06	282083868.00	282083868.00
		8 / 06	330208945.00	330208945.00
		9 / 06	464602170.00	464602170.00
		10 / 06	351121766.00	351121766.00
		11 / 06	291055278.00	291055278.00
		12 / 06	371249726.00	371249726.00
		1 / 07	302318969.00	302318969.00
		2 / 07	427894950.00	427894950.00
		3 / 07	758529902.00	758529902.00

**परिशिष्ट संख्या-11अ)**

**(पैरा-2.8)**

**मई 2007 के अन्त की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपॉजिट (केन्द्रीय) के अंतर्गत विसंगतियों की सूची**

क्र.	कोषालय/शाखा	माह	आर.बी.आई. राशि	कोषालय राशि	विसंगतियां
1	सतना सतना, सतना सिटी, मैहर एवं नागौद	4 / 77	837541.22 क्रेडिट	838603.70 डेबिट	1062.48 डेबिट
2	सीहोर नसरुल्लागंज	2 / 83	निरंक	300.00 क्रेडिट	300.00 क्रेडिट
3	छतरपुर	7 / 83	642.34 डेबिट	344.34 क्रेडिट	298.00 डेबिट
4	छतरपुर	3 / 84	42560.26 डेबिट	42154.26 क्रेडिट	406.00 डेबिट
5	सीधी	6 / 87	15476.90 डेबिट	80233.85 क्रेडिट	64756.95 क्रेडिट
6	दमोह (हटा)	12 / 87	1526.00 डेबिट	निरंक	1526.00 डेबिट
7	देवास	9 / 88	34992.50 डेबिट	निरंक	34992.50 डेबिट
8	जबलपुर	11 / 88	747922.17 डेबिट	659494.00 क्रेडिट	88428.17 डेबिट
9	जबलपुर	3 / 89	1019081.07 डेबिट	1050927.07 क्रेडिट	31846.00 क्रेडिट
10	उज्जैन बुधवारा	8 / 89	45719.00 डेबिट	97434.00 क्रेडिट	51715.00 क्रेडिट
11	जबलपुर	12 / 89	512843.02 डेबिट	627000.84 क्रेडिट	114157.82 क्रेडिट
12	मंदसौर	1 / 90	340427.52 डेबिट	547792.75 क्रेडिट	207365.23 क्रेडिट
13	होशंगाबाद पचमढ़ी	1 / 90	450 डेबिट	750.00 क्रेडिट	300.00 क्रेडिट
14	ग्वालियर	3 / 90	1282929.64 डेबिट	1245615.64 क्रेडिट	37314.00 डेबिट
15	शहडोल	4 / 90	8489.00 डेबिट	33058.00 क्रेडिट	24569.00 क्रेडिट
16	शहडोल	7 / 90	57785.75 डेबिट	19717.00 क्रेडिट	38068.75 डेबिट
17	रतलाम	7 / 90	64265.00 डेबिट	निरंक	64265.00 डेबिट
18	विदिशा	7 / 90	26780.00 डेबिट	निरंक	26780.00 डेबिट
19	इंदौर	7 / 90	1459533.20 डेबिट	1492538.50 क्रेडिट	33005.30 क्रेडिट
20	सीधी	8 / 90	62521.00 डेबिट	18750.00 क्रेडिट	43771.00 डेबिट
21	शहडोल	10 / 90	40952.00 डेबिट	19128.00 क्रेडिट	21824.00 डेबिट
22	रायसेन	12 / 90	24129.00 डेबिट	निरंक	24129.00 डेबिट
23	भोपाल एस.आर.	3 / 91	1262288.66 डेबिट	331223.66 क्रेडिट	931065.00 डेबिट
24	होशंगाबाद	3 / 91	208866.00 डेबिट	208866.00 क्रेडिट 133893.00 डेबिट	133893.00 डेबिट
25	इंदौर	4 / 91	निरंक	790166.00 क्रेडिट	790166.00 क्रेडिट
26	सीधी	5 / 91	15896.00 क्रेडिट	12152.00 क्रेडिट	28048.00 क्रेडिट
27	सतना	6 / 91	80877.00 डेबिट	215281.00 क्रेडिट	134404.00 क्रेडिट
28	इंदौर	5 / 92	191105.00 डेबिट	निरंक	191105.00 डेबिट
29	इंदौर	6 / 92	216233.00 डेबिट	निरंक	216233.00 डेबिट
30	इंदौर	7 / 92	63000.00 डेबिट	निरंक	63000.00 डेबिट
31	इंदौर	2 / 93	76524.00 डेबिट	निरंक	76524.00 डेबिट

**परिशिष्ट संख्या-11(ब)**

**(पैरा-2.8)**

**मार्च 2007 के अन्त की स्थिति में रिजर्व बैंक डिपॉजिट (राज्य) के अंतर्गत विसंगतियों की सूची  
(जून 2007 तक निराकृत)**

क्र.	कोषालय	बैंक शाखा	माह	आर.बी.आई.राशि	कोषालय राशि	अंतर	
						डेबिट	क्रेडिट
1	बालाघाट	भा.स्टे.बैं. बालाघाट	3/06	276915253 डे.	276850813 के.	64440	
2	बैतूल	भा.स्टे.बैं. मुलताई	12/05	6599531 डे.	6594531 के.	5000	-
		-----	3/07	10144237 डे.	10141237 के.	3000	-
		भा.स्टे.बैं. बैतूल	11/06	22627336 डे.	22628335 के.	-	999
		भा.स्टे.बैं. भैंसदेही	1/07	12667410 डे.	12667400 के.	10	-
		इं.स्टे.बैं. बैतूल	8/06	5727379 के.	5727479 डे.	100	-
		इं.स्टे.बैं. बैतूल	2/07	15986107 के.	15987164 डे.	1057	-
3	भोपाल	भा.स्टे.बैं. एस.आर.भोपाल	10/05	406437477 डे.	406405997 के.	31480	-
		-----	6/06	1853298254 डे.	1853230338 के.	67916	-
		भा.स्टे.बैं. सुल्तानियारोड	11/05	434804060 डे.	434834576 के.	30516	-
		-----	12/05	1868023216 डे.	1868014161 के.	9055	-
		-----	8/06	910414545 डे.	910414549 के.	-	04
		भा.स्टे.बैं. हमीदिया	11/05	127257509 के.	127239509 डे.	-	18000
इं.स्टे.बैं. बैरागढ़	1/07	9674493 के.	9595185 डे.	-	79308		
4	छिन्दवाड़ा	भा.स्टे.बैं. चन्दामेटा	3/04	14620328 के.	14597328 डे.	-	23000
		-----	11/06	4298540 के.	4297540 डे.	-	1000
		भा.स्टे.बैं. छिन्दवाड़ा	7/06	288151941 डे.	288160281 के.	-	8340
		-----	8/06	208081190 डे.	208080710 के.	480	-
		भा.स्टे.बैं. अमरवाड़ा	10/06	16116220 डे.	16113880 के.	2340	-
		भा.स्टे.बैं. पांडुरना	11/06	1812341 डे.	1811841 के.	500	-
		-----	12/06	3434170 डे.	3436170 के.	-	2000
		-----	1/07	6133110 के.	6133115 डे.	05	-
		भा.स्टे.बैं. सौंसर	12/06	4385474 के.	13586074 डे.	9200600	-
इं.स्टे.बैं. छिन्दवाड़ा	1/07	3187282 के.	3407802 डे.	220520	-		
5	दमोह	भा.स्टे.बैं. दमोह	11/05	45594223 डे.	45595341 के.	-	1118
		भा.स्टे.बैं. हटा	11/05	2963119 डे.	2961605 के.	1514	-
6	दतिया	भा.स्टे.बैं. सेंवढ़ा	3/06	6000610 डे.	6377012 के.	-	376402
		भा.स्टे.बैं. दतिया	9/06	116662203 डे.	116661758 के.	445	-
		भा.स्टे.बैं. दतिया	12/06	112550090 डे.	112664876 के.	-	114786
		भा.स्टे.बैं. दतिया	1/07	89142315 डे.	89119643 के.	22672	-
7	डिण्डोरी	भा.स्टे.बैं. डिण्डोरी	3/04	197420189 डे.	194956120 के.	2464069	-
8	ग्वालियर	भा.स्टे.बैं. ग्वालियर	9/05	113013175 डे.	111393276 के.	1619899	-
		भा.स्टे.बैं. ग्वालियर	11/05	32099403 डे.	32097403 के.	2000	-
		भा.स्टे.बैं. ग्वालियर	1/06	44127940 के.	44135940 डे.	8000	-
9	होशंगाबाद	भा.स्टे.बैं. होशंगाबाद	10/06	93275313 डे.	93269613 के.	5700	-
		भा.स्टे.बैं. इटारसी	10/06	1705463 डे.	1705438 के.	25	-
		भा.स्टे.बैं. सोहागपुर	10/06	11848942 डे.	11587090 के.	261852	-
		भा.स्टे.बैं. इटारसी	2/07	2179090 डे.	2179080 के.	10	-
		भा.स्टे.बैं. सिवनीमालवा	2/07	12606117 डे.	12606107 के.	10	-



10	इंदौर सिटी	भा.स्टे.बैं. इंदौर मेन	7/05	116956315 के.	116953355 डे.	—	2960
		भा.स्टे.बैं. सिटी ब्रांच	8/05	14260545 के.	14260595 डे.	50	—
		भा.स्टे.बैं. इंदौर मेन	2/06	137255567 के.	137256179 डे.	612	—
		भा.स्टे.बैं. इंदौर मेन	3/06	252296528 के.	252296588 डे.	60	—
		भा.स्टे.बैं. इंदौर मेन	7/06	134876969 के.	134878969 डे.	2000	—
		भा.स्टे.बैं. इंदौर मेन	12/06	173012895 के.	173017895 डे.	5000	—
		भा.स्टे.बैं. इंदौर मेन	3/07	258070498 के.	258100498 डे.	30000	—
		भा.स्टे.बैं.पुराना पलासिया	3/07	31875664 के.	31875264 डे.	—	400
		इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	3/04	72105817 डे.	72107017 के.	—	1200
		इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	9/04	4128297 डे.	2603071 के.	1525226	—
		इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	7/05	98980194 डे.	98971209 के.	8985	—
		इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	8/05	102191284 डे.	102117932 के.	73352	—
		इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	9/05	131651048 डे.	131541740 के.	109308	—
		इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	12/05	139770301 डे.	139770579 के.	—	278
इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	2/06	116660394 डे.	116661394 के.	—	1000		
इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	3/06	5168445 के.	9383391 डे.	4214946	—		
इं.स्टे.बैं. पी.बी. रोड	6/06	203556122 डे.	203556142 के.	—	20		
इं.स्टे.बैं. नौलखा	10/04	15269647 के.	15464492 डे.	194845	—		
इं.स्टे.बैं. एम.जी.रोड	7/05	194306132 के.	194406402 डे.	100270	—		
इं.स्टे.बैं. सियागंज	11/06	14604815 के.	13538627 डे.	—	1066188		
11	जबलपुर सिटी	भा.स्टे.बैं. तुलाराम चौक	8/05	247407041 डे.	247395107 के.	11934	—
		भा.स्टे.बैं. तुलाराम चौक	11/06	920094866 डे.	901903410 के.	18191456	—
		भा.स्टे.बैं. टी.आर.सी.	10/05	409522924 डे.	409669714 के.	—	10250
		भा.स्टे.बैं. टी.आर.सी.	11/05	664021410 डे.	664031660 के.	—	645654
		भा.स्टे.बैं. टी.आर.सी.	12/05	1881710359 डे.	1882356013 के.	—	—
12	जबलपुर	भा.स्टे.बैं. सिहोरा	5/06	5498890 डे.	5498840 के.	50	—
		भा.स्टे.बैं. सिहोरा	9/06	13837205 डे.	13834445 के.	2760	—
		भा.स्टे.बैं. सिहोरा	10/06	503742 डे.	573771 के.	—	70029
		भा.स्टे.बैं. जबलपुर मेन	9/06	327455798 डे.	327455778 के.	20	—
		भा.स्टे.बैं. जबलपुर मेन	10/06	1098976218 डे.	1098910189 के.	66029	—
		भा.स्टे.बैं. जबलपुर मेन	12/06	254437268 डे.	254434128 के.	3140	—
		भा.स्टे.बैं. पाटन	9/06	11688930 डे.	11672897 के.	16033	—
13	झाबुआ	भा.स्टे.बैं. झाबुआ	4/05	45018337 डे.	44898607 के.	119730	—
		भा.स्टे.बैं. झाबुआ	1/07	121802767 डे.	121802742 के.	25	—
		इं.स्टे.बैं. पेटलावद	2/04	19022482 डे.	19022532 के.	—	50
		इं.स्टे.बैं. पेटलावद	7/04	11469437 डे.	11469037 के.	400	—
14	मण्डला	भा.स्टे.बैं. मण्डला	1/07	175111521 डे.	175062718 के.	48803	—
15	मोतीमहल	भा.स्टे.बैं. मोतीमहल	9/05	164680343 डे.	168140555 के.	—	3460212
		भा.स्टे.बैं. मोतीमहल	2/07	144213468 के.	144223218 डे.	9750	—
16	मंदसौर	भा.स्टे.बैं. मंदसौर	10/03	112193584 डे.	112186304 के.	7280	—
		भा.स्टे.बैं. मंदसौर	10/05	116504697 डे.	116466007 के.	1960	—
		भा.स्टे.बैं. मंदसौर	5/06	31186363 डे.	33064505 के.	—	1878142
		इं.स्टे.बैं. भानपुरा	5/06	33128663 डे.	—	33128663	—
		इं.स्टे.बैं. गरोठ	5/06	1372959 के.	—	—	1372959
		इं.स्टे.बैं. गरोठ	2/07	2167572 के.	2169572 डे.	2000	—
		इं.स्टे.बैं. मल्हारगढ़	5/06	5979063 डे.	—	5979063	—

		इं.स्टे.बैं. मंदसौर	5/06	42321555 के.	—	—	42321555
		इं.स्टे.बैं. तेंदूखेड़ा	5/06	508178 के.	—	—	508178
		सेन्ट्रल बैं. मंदसौर	9/04	2691808 डे.	2659708 के.	32100	—
		सेन्ट्रल बैं. मंदसौर	5/06	1220472 डे.	—	1220472	—
17	मुरैना	भा.स्टे.बैं. मुरैना	1/07	110610062 डे.	110604037 के.	6025	—
18	नरसिंहपुर	भा.स्टे.बैं. गाडरवाड़ा	4/05	7100361 डे.	7166247 के.	—	65886
19	पन्ना	भा.स्टे.बैं. पन्ना	2/06	155494834 डे.	155419295 के.	75539	—
		भा.स्टे.बैं. पन्ना	8/06	90132022 डे.	104632634 के.	—	14500612
		भा.स्टे.बैं. पन्ना	3/07	317333010 डे.	317980161 के.	—	647151
		भा.स्टे.बैं. अजयगढ़	2/06	5861970 डे.	5862359 के.	—	389
		भा.स्टे.बैं. अजयगढ़	8/06	5255002 डे.	—	5255002	—
		भा.स्टे.बैं. अजयगढ़	1/07	5343138 डे.	5343308 के.	—	170
		भा.स्टे.बैं. पवई	8/06	5763126 डे.	—	5763126	—
		भा.स्टे.बैं. शाहनगर	8/06	3041501 डे.	—	3041501	—
20	रीवा	भा.स्टे.बैं. रीवा	7/05	568024475 डे.	568006956 के.	17519	—
		भा.स्टे.बैं. रीवा	3/07	805194155 डे.	805193640 के.	515	—
21	रायसेन	भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी. बरेली	11/03	6703511 डे.	6699665.50 के.	3845.50	—
		भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी. बरेली	8/05	12366449 डे.	12341203 के.	25246	—
		भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी. बरेली	11/05	291622 डे.	291382 के.	240	—
		भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी. बरेली	4/06	9491114 डे.	9491139 के.	—	25
		भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी. बरेली	9/06	14627327 डे.	14626980 के.	347	—
		भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी. बरेली	1/07	13622997 डे.	13622822 के.	175	—
		भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी. बरेली	2/07	14846543 डे.	14846425 के.	118	—
		भा.स्टे.बैं. ए.डी.बी. बरेली	3/07	11037614 डे.	10299337 के.	738277	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	10/04	4548757 डे.	3866838 के.	681919	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	11/04	6758346 डे.	6734953 के.	23393	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	3/05	6181101 डे.	6168366 के.	12735	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	9/05	5775120 डे.	5892419 के.	—	117299
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	10/05	9362644 डे.	9365148 के.	—	2504
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	5/06	3158351 डे.	3134144 के.	24207	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	6/06	4450062 डे.	4450162 के.	—	100
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	7/06	4391453 डे.	4325718 के.	65735	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	8/06	4863546 डे.	4861113 के.	3433	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	11/06	4844647 डे.	4840415 के.	4232	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	12/06	5436888 डे.	5436938 के.	—	50
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	1/07	4606862 डे.	4604269 के.	2593	—
		भा.स्टे.बैं. सिलवानी	3/07	12378922 डे.	12357577 के.	21345	—
		भा.स्टे.बैं. रायसेन	8/05	62025941 डे.	61927859 के.	98082	—
		भा.स्टे.बैं. रायसेन	1/07	130954189 डे.	130951711 के.	2478	—
		भा.स्टे.बैं. रायसेन	2/07	134871737 डे.	135771737 के.	—	900000
		भा.स्टे.बैं. रायसेन	3/07	370194115 डे.	371838462 के.	—	1644347
		भा.स्टे.बैं. बेगमगंज	3/07	6110407 डे.	5416544 के.	693863	—
		सेन्ट्रल बैं. गैरतगंज	10/04	3523939 डे.	3523550 के.	388	—
		सेन्ट्रल बैं. गैरतगंज	12/04	2479565 डे.	2482313 के.	—	2748
		सेन्ट्रल बैं. गैरतगंज	8/05	4064431 डे.	4307839 के.	—	243408
		सेन्ट्रल बैं. गैरतगंज	5/06	4090771 डे.	4090779 के.	—	8
		सेन्ट्रल बैं. गौहरगंज	8/06	2812244 के.	2738844 डे.	—	73400
		सेन्ट्रल बैं. उदयपुरा	3/07	6580473 डे.	6677914 के.	—	97441
22	सागर	भा.स्टे.बैं. सी.एल.सागर	5/05	189742706 डे.	189743346 के.	—	640

		भा.स्टे.बैं. देवरी	5/05	9139755 डे.	9143115 के.	—	3360
		इं.स्टे.बैं. सागर	11/06	4804754 के.	4804784 डे.	30	—
23	सतना	भा.स्टे.बैं. मैहर	11/06	14758858 के.	14747453 डे.	—	11405
		भा.स्टे.बैं. मैहर	12/06	18466765 के.	18366600 डे.	—	100165
		भा.स्टे.बैं. मैहर	1/07	19519489 के.	19498900 डे.	—	20589
		भा.स्टे.बैं. सतना	11/06	211160420 डे.	211445824 के.	—	285404
		भा.स्टे.बैं. सतना	1/07	87695009 डे.	87695495 के.	—	486
		भा.स्टे.बैं. सतना	3/07	349406086 डे.	349406077 के.	9	—
		भा.स्टे.बैं. नागौद	12/06	12390294 डे.	12389482 के.	812	—
		इं.स्टे.बैं. सतना	2/07	18010518 के.	18017657 डे.	7139	—
		इलाहा.बैं. अमरपाटन	11/06	18721417 डे.	18721387 के.	30	—
		इलाहा.बैं. रामपुरबधेलान	11/06	8903174 डे.	8902782 के.	392	—
		इलाहा.बैं. रामपुरबधेलान	2/07	15928102 डे.	15928072 के.	30	—
24	शिवपुरी	भा.स्टे.बैं. शिवपुरी	5/04	2893299 के.	2858267 डे.	—	35032
25	टीकमगढ़	भा.स्टे.बैं. निवाड़ी	12/06	13150385 डे.	13090224 के.	60161	—
		भा.स्टे.बैं. टीकमगढ़	1/07	98282588 डे.	95555290 के.	1727298	—
26	उज्जैन	भा.स्टे.बैं. नागदा	6/06	91891411 के.	91883898 डे.	—	7513
		इं.स्टे.बैं. बड़नगर	1/05	7205786 डे.	7357713 के.	—	151927
27	विन्ध्याचल	भा.स्टे.बैं. विन्ध्याचल	8/05	957345699 डे.	956559641 के.	786058	—
		भा.स्टे.बैं. विन्ध्याचल	12/05	2622647937 डे.	2622648244 के.	—	307
		भा.स्टे.बैं. विन्ध्याचल	1/06	1017268478 डे.	1017572103 के.	—	303625
		इं.स्टे.बैं. एम.पी. नगर	8/05	686276 के.	—	—	686276
28	अशोकनगर	इं.स्टे.बैं. अशोकनगर	1/07	41353710 डे.	41353690 के.	20	—
29	धार	इं.स्टे.बैं. गंधवानी	7/04	9167232 डे.	9165937 के.	1295	—
30	इंदौर	इं.स्टे.बैं. गुमस्ता नगर	10/05	5643453 के.	5645148 डे.	1695	—
		इं.स्टे.बैं. महु	3/07	22721019 के.	22728819 डे.	7800	—
31	राजगढ़	इं.स्टे.बैं. सारंगपुर	7/05	9413793 डे.	9410162 के.	3641	—
		इं.स्टे.बैं. सारंगपुर	8/05	6745742 डे.	6741270 के.	4472	—
		इं.स्टे.बैं. सारंगपुर	9/05	9849536 डे.	9849346 के.	190	—
32	श्योपुर	इं.स्टे.बैं. विजयपुर	3/06	15117091 डे.	14946678 के.	170413	—
		इं.स्टे.बैं. विजयपुर	2/07	4485346 डे.	4487146 के.	—	1800
33	वल्लभ भवन	इं.स्टे.बैं. बड़खेड़ी	8/05	15708513 के.	15715763 डे.	7250	—
34	सीधी	यूनियन बैं. अमीलिया	1/06	6568240 डे.	6548890 के.	19450	—

**परिशिष्ट संख्या-12**

**(पैरा-2.9)**

**वर्ष 2006-07 के अन्त तक अप्राप्त व्ही.डी.एम.एस. से संबंधित कोषालयों की सूची**

स.क्र.	कोषालय का नाम	संबंधित बैंक शाखा	माह
1	बैतूल	एस.बी.आई. भैंसदेही	01 / 07
2	बैतूल	एस.बी.आई. मुलताई	03 / 07
3	दतिया	एस.बी.आई. सेवदा	03 / 06
4	होशंगाबाद	एस.बी.आई. सोहागपुर	10 / 06
5	इन्दौर सिटी	एस.बी.आई. इंदौर सिटी (मेन ब्रांच)	03 / 07
	इन्दौर सिटी	स्टेट बैंक आफ इंदौर पी.वाई.रोड इंदौर	09 / 04, 09 / 05, 02 / 06, 03 / 06
6	जबलपुर सिटी	एस.बी.आई. टी.आर.सी. जबलपुर	10 / 05, 11 / 05
7	जबलपुर	एस.बी.आई. जबलपुर	10 / 06
8	पन्ना	एस.बी.आई. शाहनगर	08 / 06
9	पन्ना	एस.बी.आई. अजयगढ़	01 / 07
10	रायसेन	एस.बी.आई. सिलवानी	07 / 06, 08 / 06, 12 / 06, 01 / 07, 03 / 07
11	रायसेन	एस.बी.आई. ए.डी.बी. बरेली	09 / 06, 01 / 07, 02 / 07, 03 / 07
12	रायसेन	एस.बी.आई. रायसेन	03 / 07
13	रायसेन	एस.बी.आई. बेगमगंज	03 / 07
	रायसेन	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया उदयपुर	03 / 07
14	सतना	एस.बी.आई. मैहर	11 / 06, 12 / 06, 01 / 07
15	सतना	एस.बी.आई. सतना	11 / 06, 03 / 07
16	सतना	एस.बी.आई. नागौद	12 / 06
	सतना	स्टेट बैंक आफ इंदौर सतना	02 / 07
	सतना	इलाहाबाद बैंक रामपुर बधेलान	02 / 07
17	उज्जैन	एस.बी.आई. नागदा	06 / 06,
18	विन्ध्याचल भवन	एस.बी.आई. विन्ध्याचल भवन	01 / 06
	विन्ध्याचल भवन	स्टेट बैंक आफ इंदौर एम.पी.नगर	08 / 05
19	राजगढ़	स्टेट बैंक आफ इंदौर सारंगपुर	09 / 05
20	श्योपुर	स्टेट बैंक आफ इंदौर विजयपुर	03 / 06, 02 / 07
21	मन्दसौर	स्टेट बैंक आफ इंदौर गरोट	02 / 07
22	सीधी	यूनियन बैंक आफ इंडिया अमीलिया सीधी	01 / 06

परिशिष्ट संख्या-13

(पैरा-3.3.1)

पेंशन के त्रुटिपूर्ण सारांशीकरण के परिणामस्वरूप सारांशीकृत राशि का अधिक भुगतान

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि रू.
1	भोपाल	248104
2	बैतूल	38175
3	हरदा	116712
4	विदिशा	109149
5	ग्वालियर	130552
6	शिवपुरी	121032
7	भिण्ड	134399
8	इंदौर	255322
9	झाबुआ	223206
10	खरगौन	256760
11	बुरहानपुर	63173
12	खण्डवा	208376
13	उज्जैन	306837
14	रतलाम	228785
15	नीमच	227764
16	पन्ना	14537
17	छतरपुर	225410
18	मण्डला	206012
19	सिवनी	54571
20	रीवा	8062
21	शहडोल	85866
22	अनूपपुर	77864
<b>योग</b>		<b>3340668</b>

परिशिष्ट संख्या-14

(पैरा-3.3.2)

बैंक द्वारा पेंशन/परिवार पेंशन प्रकरणों में अधिक भुगतान

स.क्र.	कोषालय का नाम	राशि रू.
1	भोपाल	20066
2	बैतूल	85090
3	हरदा	165055
4	विदिशा	185163
5	ग्वालियर	170679
6	शिवपुरी	126767
7	भिण्ड	95117
8	मुरैना	120008
9	इंदौर	209153
10	धार	36189
11	झाबुआ	373722
12	खरगौन	116240
13	बड़वानी	35094
14	खण्डवा	96741
15	उज्जैन	21832
16	नीमच	14601
17	सागर	26782
18	जबलपुर	13749
19	मण्डला	251970
20	सिवनी	159671
21	शहडोल	86777
22	अनूपपुर	235607
योग		734025

परिशिष्ट संख्या-15

(पैरा-3.4.1)

सामान्य भविष्य निधि प्राधिकार पत्रों का वैधता अवधि में भुगतान न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	कुल राशि रु.
1	भोपाल	16	1724781
2	वल्लभ भवन	01	748714
3	होशंगाबाद	06	289539
4	विदिशा	05	1101156
5	ग्वालियर	05	136111
6	दतिया	03	56459
7	श्योपुर	04	540402
8	इंदौर	07	287400
9	नगर कोषालय इंदौर	04	534577
10	झाबुआ	09	1871122
11	खरगौन	06	198512
12	खण्डवा	06	100054
13	रतलाम	03	288479
14	सागर	09	933289
15	पन्ना	03	226768
16	जबलपुर	11	786283
17	नगर कोषालय जबलपुर	01	283277
18	मण्डला	04	302967
19	सिवनी	11	1258801
20	बालाघाट	11	1147402
21	बैहर (बालाघाट)	01	112603
22	कटनी	04	112932
23	रीवा	08	252779
24	शहडोल	02	627146
25	अनूपपुर	01	133502
	<b>योग</b>	<b>141</b>	<b>14055055</b>

परिशिष्ट संख्या-16

(पैरा-3.5.1)

कोषालय नियम - 27 के अंतर्गत अनियमित आहरण

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रु.
1	रीवा	525000
2	भोपाल	4425302601
3	मनासा (नीमच)	863785
4	पानसेमल (बड़वानी)	1429000
5	थांदला (झाबुआ)	300000
6	अशोकनगर	1503532
7	बिजावर (छतरपुर)	49246046
8	लौंडी (छतरपुर)	434000
9	राजनगर (छतरपुर)	12059603
10	विन्ध्याचल भवन	77500000
11	होशंगाबाद	4240000
12	श्योपुर	433265
13	पन्ना	250556891
14	पवई (पन्ना)	1356839
15	शाहनगर (पन्ना)	5306565
16	नौगांव (छतरपुर)	375875
17	छतरपुर	69434
18	कटनी	304243
19	पिपरिया (होशंगाबाद)	23000
<b>योग</b>		<b>4831829679</b>



परिशिष्ट संख्या-17

(पैरा-3.5.2)

सहायक अनुदान/अंशदान की राशि का गलत प्रपत्र पर आहरण

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रु.
1	लांजी (बालाघाट)	100000
2	सागर	2810060
3	नैनपुर (मण्डला)	2311000
4	महेश्वर (खरगौन)	1350000
5	बड़वाह (खरगौन)	509525
6	सैगांव (खरगौन)	106000
7	हरदा	75000
8	अमरपाटन (सतना)	58000
9	पानसेमल (बड़वानी)	721965
10	खुरई (सागर)	807168
11	बक्सवाहा (छतरपुर)	159800
12	लौंडी (छतरपुर)	327239
13	राजनगर (छतरपुर)	39360
14	होशंगाबाद	4193143
15	पन्ना	2804000
16	पवई (पन्ना)	113700
17	शाहनगर (पन्ना)	371700
18	छतरपुर	9771694
19	पोहरी (शिवपुरी)	150000
<b>योग</b>		<b>26779354</b>

परिशिष्ट संख्या-18

(पैरा-3.5.3)

बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने हेतु अनियमित अग्रिम आहरण

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रु.
1	भोपाल	3329400
2	विन्ध्याचल भवन	43415876
3	वल्लभ भवन	829509753
4	भैंसदेही (बैतूल)	2121000
5	शाहपुर (बैतूल)	3348000
6	होशंगाबाद	4141000
7	डबरा (ग्वालियर)	230000
8	शिवपुरी	54591158
9	करैरा (शिवपुरी)	120000
10	पोहरी (शिवपुरी)	1401041
11	दतिया	11790000
12	मुरैना	18818032
13	जौरा (मुरैना)	1497500
14	नगर कोषालय इंदौर	41748000
15	धार	32263000
16	बदनावर (धार)	2174000
17	महेश्वर (खरगौन)	5535000
18	सैगांव (खरगौन)	586000
19	बड़वानी	17650000
20	सेंधवा (बड़वानी)	4005954
21	सागर	6704000
22	खुरई (सागर)	1062000
23	पन्ना	5052000
24	छतरपुर	5629694
25	नौगांव (छतरपुर)	100000
26	छिन्दवाड़ा	100075713
27	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	1029000
28	मण्डला	31279686
29	सिवनी	7162144
30	बालाघाट	5568000
31	रीवा	71383383
32	सतना	157996635
33	सीधी	67893960
34	ब्योहारी (शहडोल)	1646100
35	राजपुर (बड़वानी)	1000000.00
	<b>योग</b>	<b>1541857029</b>

परिशिष्ट संख्या-19

(पैरा-3.5.4)

प्रतिबंधित अवधि के पश्चात बिना वित्त विभाग की अनुमति के राशियों का भुगतान किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	मुलताई (बैतूल)	321642
2	होशंगाबाद	5063608
3	ग्वालियर	5375834
4	पिछोर (शिवपुरी)	225000
5	पोहरी (शिवपुरी)	180000
6	सेंवढ़ा (दतिया)	75000
7	भिण्ड	500000
8	मुरैना	1178780
9	इंदौर	14072426
10	नगर कोषालय इंदौर	1134140
11	बुरहानपुर	185828
12	उज्जैन	336954
13	छतरपुर	804586
14	नौगांव (छतरपुर)	1295128
15	बिजावर (छतरपुर)	6291889
16	राजनगर (छतरपुर)	44150
17	जबलपुर	36643710
18	नगर कोषालय जबलपुर	89428861
19	छिन्दवाड़ा	12581032
20	रीवा	3148857
	<b>योग</b>	<b>178887425</b>

परिशिष्ट संख्या-20

(पैरा-3.5.5)

आयकर तथा वन प्रेषण की प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	गलत शीर्ष जिसमें वर्गीकृत किया गया	सही शीर्ष जिसमें वर्गीकृत किया जाना	राशि रु.
1	मुरैना	0021-आय पर निगम कर से भिन्न कर, 102-पेंशन सहित संघ की परिलब्धियों पर आयकर	8658-उचंत लेखा, 112-स्त्रोत पर आयकर की कटौती	501808
2	मण्डला	---"---	---"---	194904
	--"--	0406- वन राजस्व	8782-नगद प्रेषण तथा समायोजन, 103-वन प्रेषण	33353
3	वारासिवनी	0021-आय पर निगम कर से भिन्न कर, 102-पेंशन सहित संघ की परिलब्धियों पर आयकर	8658-उचंत लेखा, 112-स्त्रोत पर आयकर की कटौती	12500
4	लांजी	---"---	---"---	229187
5	निवास (मण्डला)	---"---	---"---	57468
6	नागौद (सतना)	---"---	---"---	10592
7	अमरपाटन (सतना)	---"---	---"---	41758
8	भैंसदेही (बैतूल)	---"---	---"---	97036
9	मुलताई (बैतूल)	---"---	---"---	126306
10	बैतूल	---"---	---"---	2789646
	--"--	0406- वन राजस्व	8782-नगद प्रेषण तथा समायोजन, 103-वन प्रेषण	3987162
11	शहडोल	---"---	---"---	218294
12	अनूपपुर	---"---	---"---	3161000
13	छतरपुर	---"---	---"---	1434062
	<b>योग</b>			<b>12895076</b>

परिशिष्ट संख्या-21

(पैरा-3.5.6)

वर्ष 2006-07 के दौरान ए.सी.बिलों के विरुद्ध डी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं कराये गये कोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय का नाम	मुख्य शीर्ष एवं राशि रू.		
		2202	2204	2045
1	बालाघाट	-	25187	-
2	बुरहानपुर	-	-	30164
3	भिण्ड	497203	-	14440
4	बैतूल	-	-	9028
5	छिन्दवाड़ा	-	-	69944
6	देवास	-	-	22173
7	ग्वालियर	-	397518	-
8	गुना	-	-	2344
9	होशंगाबाद	-	73875	24393
10	इंदौर सिटी	-	1529147	30491
11	जबलपुर सिटी	-	103472	18217
12	खण्डवा	-	1664684	5240
13	खरगौन	-	-	35948
14	मंदसौर	-	-	35054
15	मोतीमहल	35548	-	12880
16	मुरैना	-	-	5693
17	रतलाम	-	-	12320
18	रीवा	-	-	14982
19	सागर	-	120953	-
20	सतना	-	-	3982
21	सिवनी	-	-	10560
22	सीहोर	-	-	14469
23	शाजापुर	-	-	8684
24	उज्जैन	-	-	10342
25	विन्ध्याचल भवन	-	1040431	-
26	वल्लभ भवन	-	1433500	-
	<b>योग</b>	<b>532751</b>	<b>6388767</b>	<b>391348</b>
<b>कुल योग</b>				<b>7312866.00</b>

परिशिष्ट संख्या-22

(पैरा-3.5.7)

विभाग द्वारा चालान से जमा राशि तथा कोषालय से आहरित राशि का प्रतिमाह पुष्टि/प्रमाणीकरण न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम
1	भोपाल	33	बदनावर (धार)
2	विन्ध्याचल भवन	34	कुक्षी (धार)
3	मुलताई (बैतूल)	35	धरमपुरी (धार)
4	भैसदेही (बैतूल)	36	पेटलावद (झाबुआ)
5	शाहपुर (बैतूल)	37	बड़वानी
6	इटारसी (होशंगाबाद)	38	बुरहानपुर
7	पचमढी (होशंगाबाद)	39	खण्डवा
8	सिवनीमालवा (होशंगाबाद)	40	नयाहरसूद छनेरा (खण्डवा)
9	सोहागपुर (होशंगाबाद)	41	पुनाला नर्मदानगर (खण्डवा)
10	पिपरिया (होशंगाबाद)	42	उज्जैन
11	बाबई (होशंगाबाद)	43	महिदपुर (उज्जैन)
12	हरदा	44	तराना (उज्जैन)
13	विदिशा	45	बड़नगर (उज्जैन)
14	डबरा (ग्वालियर)	46	खाचरौद (उज्जैन)
15	मोतीमहल (ग्वालियर)	47	आलोट (रतलाम)
16	शिवपुरी	48	बाजना (रतलाम)
17	करैरा (शिवपुरी)	49	बण्डा (सागर)
18	पिछोर (शिवपुरी)	50	पन्ना
19	पोहरी (शिवपुरी)	51	छतरपुर
20	दतिया	52	छिन्दवाड़ा
21	सेंवड़ा (दतिया)	53	मण्डला
22	गोहद (भिण्ड)	54	सिवनी
23	मेहगांव (भिण्ड)	55	रीवा
24	अम्बाह (मुरैना)	56	हनुमना (रीवा)
25	जौरा (मुरैना)	57	नागौद (सतना)
26	इंदौर	58	अमरपाटन (सतना)
27	देपालपुर (इंदौर)	59	रामपुर बधेलान (सतना)
28	महू (इंदौर)	60	सीधी
29	सांवेर (इंदौर)	61	कुसमी (सीधी)
30	शहडोल	62	देवसर (सीधी)
31	अनूपपुर	63	मझौली (सीधी)
32	बैठन (सीधी)	64	पेटलावद (झाबुआ)

परिशिष्ट संख्या-23

(पैरा-3.5.8)

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन एवं समाधान अनुदेशों का पालन न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम
1	विन्ध्याचल भवन	35	बड़वानी
2	मुलताई (बैतूल)	36	बुरहानपुर
3	भैंसदेही (बैतूल)	37	खण्डवा
4	शाहपुर (बैतूल)	38	पुनाला नर्मदानगर (खण्डवा)
5	इटारसी (होशंगाबाद)	39	उज्जैन
6	बाबई (होशंगाबाद)	40	महिदपुर (उज्जैन)
7	हरदा	41	तराना (उज्जैन)
8	विदिशा	42	बड़नगर (उज्जैन)
9	कुरवाई (विदिशा)	43	खाचरौद (उज्जैन)
10	मोतीमहल (ग्वालियर)	44	घटिया (उज्जैन)
11	अशोकनगर	45	आलोट (रतलाम)
12	शिवपुरी	46	बाजना (रतलाम)
13	करैरा (शिवपुरी)	47	जावद (नीमच)
14	पिछोर (शिवपुरी)	48	मनासा (नीमच)
15	कोलारस (शिवपुरी)	49	सिंगौली (नीमच)
16	पोहरी (शिवपुरी)	50	बीना (सागर)
17	दतिया	51	बण्डा (सागर)
18	भांडेर (दतिया)	52	पन्ना
19	सेंवढा (दतिया)	53	अजयगढ़ (पन्ना)
20	गोहद (भिण्ड)	54	छतरपुर
21	लहार (भिण्ड)	55	मण्डला
22	मेहगांव (भिण्ड)	56	निवास (मण्डला)
23	मुरैना	57	सिवनी
24	जौरा (मुरैना)	58	रीवा
25	शयोपुर	59	हनुमना (रीवा)
26	इंदौर	60	नागौद (सतना)
27	महू (इंदौर)	61	सीधी
28	सावेर (इंदौर)	62	बैठन सिंगरौली (सीधी)
29	नगर कोषालय इंदौर	63	मझौली (सीधी)
30	उपकोषालय इंदौर	64	चितरंगी (सीधी)
31	गंधवानी (धार)	65	शहडोल
32	झाबुआ	66	अनूपपुर
33	पेटलावद (झाबुआ)		
34	खरगौन		

परिशिष्ट संख्या-24

(पैरा-3.6.1 व 3.6.2)

अदावाकृत राजस्व जमा की राशि नियमानुसार शासन के खाते में व्यपगत न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रु.
1	बैतूल	197210
2	मुलताई (बैतूल)	15318
3	भैंसदेही (बैतूल)	50051
4	पिपरिया (होशंगाबाद)	314539
5	ग्वालियर	194802
6	डबरा (ग्वालियर)	259093.68
7	मोतीमहल (ग्वालियर)	367298
8	अशोकनगर	725697
9	पिछोर (शिवपुरी)	184466.89
10	दतिया	43945
11	लहार (भिण्ड)	27438
12	मेहगांव (भिण्ड)	63003
13	अम्बाह (मुरेना)	366839
14	इंदौर	47455
15	महू (इंदौर)	248552
16	बदनावर (धार)	21859
17	अलीराजपुर (झाबुआ)	468015
18	पेटलावद (झाबुआ)	104327
19	कसरावद (खरगौन)	84627
20	सनावद (खरगौन)	77133
21	नया हरसूद (खण्डवा)	174197
22	तराना (उज्जैन)	35118
23	खाचरौद (उज्जैन)	10473.13
24	बाजना (रतलाम)	9401.30
25	जावद (नीमच)	7420
26	बीना (सागर)	131614
27	रहली (सागर)	119735
28	बण्डा (सागर)	18104
29	अजयगढ़ (पन्ना)	187794
30	शाहनगर (पन्ना)	188130
31	पाटन (जबलपुर)	393502
32	नगर कोषालय जबलपुर	261635
33	नैनपुर (मण्डला)	35220
34	निवास (मण्डला)	542878
35	बालाघाट	54287
36	कटंगी (बालाघाट)	85131
37	कटनी	21717021
38	ब्यौहारी (शहडोल)	108420
<b>योग</b>		<b>27941749.00</b>



परिशिष्ट संख्या-25

(पैरा-3.6.3)

व्यक्तिगत जमा के राशि नियमानुसार राजस्व जमा में अंतरित न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	इटारसी (होशंगाबाद)	510263
2	सिवनीमालवा (होशंगाबाद)	1126
3	पिपरिया (होशंगाबाद)	49895
4	हरदा	247377
5	विदिशा	2438677
6	ग्वालियर	2292695.42
7	मोतीमहल	5804114
8	अशोकनगर	3506334
9	शिवपुरी	1000476.71
10	करैरा (शिवपुरी)	24582.59
11	कोलारस (शिवपुरी)	7080
12	दतिया	254986
13	भांडेर (दतिया)	90972
14	भिण्ड	607433
15	मेहगांव (भिण्ड)	52214
16	मुरैना	8387014.60
17	शयोपुर	1145690.67
18	नगर कोषालय इंदौर	691979
19	धरमपुरी (धार)	20403
20	झाबुआ	142977
21	बड़वानी	1615129
22	पानसेमल (बड़वानी)	1612500
23	सेधवा (बड़वानी)	1724300
24	बुरहानपुर	769701
25	खण्डवा	302520
26	उज्जैन	36453
27	तराना (उज्जैन)	1109981.41
28	रतलाम	18781
29	खुरई (सागर)	488673.29
30	छतरपुर	294167
31	जबलपुर	20272
32	छिन्दवाड़ा	372124
33	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	135722
34	परासिया (छिन्दवाड़ा)	596263
35	मण्डला	158747
36	निवास (मण्डला)	174024
37	सिवनी	549690

38	केवलारी (सिवनी)	196950
39	बालाघाट	841847
40	कटनी	1030
41	मऊगंज (रीवा)	56547.65
42	सिरमौर (रीवा)	9492.69
43	ब्यौहारी (शहडोल)	109954
<b>योग</b>		<b>38471159.03</b>

परिशिष्ट संख्या-26

(पैरा-3.6.4)

समेकित निधि को विकलन द्वारा निर्मित व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर बन्द न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	विन्ध्याचल भवन (भोपाल)	1868510617
2	पिपरिया (होशंगाबाद)	2074493
3	हरदा	13421986
4	शिवपुरी	2836737
5	नगर कोषालय इंदौर	177775
6	बड़वानी	12634799
7	राजपुर (बड़वानी)	205554
8	खण्डवा	2150943
9	रतलाम	28490284
10	छतरपुर	4209737
11	छिन्दवाड़ा	169595206
12	मण्डला	33694282
13	रीवा	31652384
14	सीधी	120739614
15	शहडोल	22724915
<b>योग</b>		<b>2313119326</b>

परिशिष्ट संख्या-27

(पैरा-3.6.5)

सिविल न्यायालय जमा खातों के न्यायालयीन अभिलेख एवं कोषालयीन अभिलेख में अंतर

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	अंतर की राशि
1	सागर	155703
2	हरदा	1590657
3	अमरपाटन (सागर)	113603
4	श्योपुर	820815
5	कटनी	845137
6	डबरा (ग्वालियर)	5496
7	पोहरी (शिवपुरी)	3864
8	बीना (सागर)	854071
9	लहार (भिण्ड)	13608
10	अम्बाह (मुरैना)	118649
11	जिला कोषालय इंदौर	90797
12	जावद (नीमच)	763524
	<b>योग</b>	<b>5375924</b>

परिशिष्ट संख्या-28

(पैरा-3.6.6)

व्यक्तिगत निक्षेप के खाताधारकों से प्राप्त अवशेष प्रमाण पत्रों के विवरण

स.क्र.	कोषालय का नाम	कुल खाताधारकों की संख्या	प्राप्त प्रमाण पत्रों की संख्या	अप्राप्त प्रमाण पत्रों की संख्या
1	अनूपपुर	03	0	03
2	अशोकनगर	20	0	20
3	बड़वानी	20	14	06
4	बालाघाट	24	0	24
5	बैतूल	29	0	29
6	भिण्ड	79	31	48
7	भोपाल	16	03	13
8	बुरहानपुर	15	0	15
9	छतरपुर	25	0	25
10	छिन्दवाड़ा	36	36	0
11	दमोह	10	02	08
12	दतिया	16	0	16
13	देवास	08	0	08
14	धार	21	06	15
15	डिण्डोरी	13	0	13
16	गुना	16	10	06
17	ग्वालियर	119	01	118
18	हरदा	14	01	13
19	होशंगाबाद	29	0	29
20	इंदौर सिटी	134	03	131
21	इंदौर	14	0	14
22	जबलपुर सिटी	43	0	43
23	जबलपुर	23	0	23
24	झाबुआ	34	0	34
25	खरगौन	25	07	18
26	कटनी	46	0	46
27	खण्डवा	50	07	43
28	मण्डला	15	01	14
29	मोतीमहल	99	01	98
30	मंदसौर	12	10	02
31	मुरैना	347	0	347
32	नरसिंहपुर	29	0	29
33	नीमच	23	09	14
34	राजगढ़	10	0	10
35	रतलाम	44	0	44
36	रीवा	48	0	48
37	रायसेन	21	0	21
38	सागर	48	0	48
39	शाजापुर	20	15	05
40	सतना	31	0	31

41	सीहोर	41	0	41
42	शहडोल	16	0	16
43	सिवनी	25	02	23
44	शयोपुर	12	0	12
45	शिवपुरी	27	07	20
46	सीधी	10	0	10
47	टीकमगढ़	17	0	17
48	उज्जैन	38	06	32
49	वल्लभ भवन	24	0	24
50	विदिशा	14	0	14
51	विन्ध्याचल	33	02	31
	<b>योग</b>	<b>1886</b>	<b>174</b>	<b>1712</b>

परिशिष्ट संख्या-29

(पैरा-3.6.7)

वित्त विभाग के अनुमति/स्वीकृति के बिना शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800-अन्य जमा के अंतर्गत राशि  
स्वीकार करना

स.क्र.	कोषालय / उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	शिवपुरी	190670
2	इंदौर	290090
3	खुरई (सागर)	222011
	योग	702771

परिशिष्ट संख्या-30

(पैरा-3.8.1)

दूढ़ कक्ष से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न किये जाने वाले कोषालयों/उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	वर्ष जिसमें प्रमाण पत्र अपेक्षित रहे
1	कोलारस (शिवपुरी)	2005-06 एवं 2006-07
2	खाचरौद (उज्जैन)	2006-07
3	इटारसी (होशंगाबाद)	2005-06 एवं 2006-07
4	मण्डला	2006-07
5	हनुमना (रीवा)	2005-06 एवं 2006-07
6	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	2006-07
7	दतिया	2006-07
8	सागर	2006-07
9	सिरमौर (रीवा)	2006-07
10	नागौद (सतना)	2006-07
11	रीवा	2006-07
12	अमरपाटन (सतना)	2005-06 एवं 2006-07
13	चितरंगी (सीधी)	2005-06 एवं 2006-07
14	त्योथर (रीवा)	2005-06 एवं 2006-07
15	मऊगंज (रीवा)	2005-06 एवं 2006-07
16	भैंसदेही (बैतूल)	2005-06 एवं 2006-07
17	सिंहावल (सीधी)	2006-07
18	मुलताई (बैतूल)	2006-07
19	बैढन सिंगरौली (सीधी)	2006-07
20	श्योपुर	2006-07
21	छतरपुर	2006-07
22	सोहागपुर (होशंगाबाद)	2006-07
23	मुंगावली (अशोकनगर)	2006-07
24	करैरा (शिवपुरी)	2006-07
25	पोहरी (शिवपुरी)	2006-07
26	बीना (सागर)	2006-07
27	विजयपुर (श्योपुर)	2006-07
28	शाहपुर (बैतूल)	2006-07
29	सांवेर (इंदौर)	2006-07
30	उपकोषालय इंदौर	2006-07
31	सिवनी	2006-07
32	पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर)	2006-07
33	बडनगर (उज्जैन)	2006-07
34	घटिया (उज्जैन)	2006-07



परिशिष्ट संख्या-31

(पैरा-3.8.2)

कोषालय/उपकोषालय के सुदृढ़ कक्ष में पहरेदारों की स्थिति निर्धारित करने वाले बीट चार्ट न लगाये जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम
1	कोलारस (शिवपुरी)	17	बक्सवाहा (छतरपुर)
2	महू (इंदौर)	18	श्योपुर
3	चुरहट (सीधी)	19	बैरसिया (भोपाल)
4	हनुमना (रीवा)	20	शिवपुरी
5	मेहगांव (भिण्ड)	21	करैरा (शिवपुरी)
6	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	22	पोहरी (शिवपुरी)
7	अनूपपुर	23	लहार (भिण्ड)
8	मझौली (सीधी)	24	सबलगाढ़ (मुरैना)
9	नैनपुर (मण्डला)	25	विजयपुर (श्योपुर)
10	पचमढी (होशंगाबाद)	26	शाहपुर (बैतूल)
11	सिरमौर (रीवा)	27	कुक्षी (धार)
12	नागौद (सतना)	28	जाबद (नीमच)
13	रीवा	29	गंधवानी (धार)
14	रतलाम	30	मऊगंज (रीवा)
15	मनासा (नीमच)	31	भैंसदेही (बैतूल)
16	त्योथर (रीवा)		

परिशिष्ट संख्या-32

(पैरा-3.8.3)

बहुमूल्य वस्तुओं के पैकेटों की निर्धारित समयावधि के पश्चात वापिस न किया जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	अवधि से संबंधित	लंबित पैकेटों की संख्या
1	कोलारस (शिवपुरी)	1998	62
2	इटारसी (होशंगाबाद)	1998 से 2003	97
3	धार	2001 से 2002	05
4	मण्डला	1991 से 2003	449
5	सीधी	1982 से 2003	180
6	शहडोल	1982 से 2003	167
7	कुसमी (सीधी)	1998 से 2003	54
8	दतिया	1992 से 2003	37
9	सागर	2000 से 2003	192
10	खण्डवा	1980 से 2004	143
11	रीवा	1976 से 2003	597
12	भोपाल	1985 से 3/2004	170
13	रतलाम	1995 से 2003	08
14	हरदा	2001 से 2003	96
15	मुलताई (बैतूल)	1995 से 2002	75
16	अशोकनगर	1986 से 2001	160
17	बैतूल	1991 से 2003	130
18	होशंगाबाद	1981 से 2003	216
19	श्योपुर	1987 से 2003	51
20	खरगौन	1990 से 2003	13
21	पन्ना	1987 से 2003	142
22	छतरपुर	1985 से 2002	543
23	कटनी	1969 से 2002	162
24	बालाघाट	1981 से 2003	68
25	सोहागपुर (होशंगाबाद)	2000 से 2003	06
26	विदिशा	1994 से 2000	05
27	ग्वालियर	1994 से 2003	28
28	मोतीमहल	1991 से 2003	18
29	मुंगावली (अशोकनगर)	1991 से 1997	06
30	शिवपुरी	2003 से 3/2004	220
31	बीना (सागर)	2001 से 2002	16
32	विजयपुर (श्योपुर)	1994 से 2000	03
33	कुक्षी (धार)	2001 से 2003	60
34	इंदौर	1981 से 2003	42
35	झाबुआ	2000 से 2003	114
36	बुरहानपुर	1993 से 2003	135
37	जबलपुर	1979 से 1999	13
38	पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर)	1998 से 2003	45
39	उज्जैन	2000 से 3/2004	219
40	बड़नगर (उज्जैन)	1998 से 3/2004	115
	<b>योग</b>		<b>4862</b>

परिशिष्ट संख्या-33

(पैरा-3.8.4)

कोषालय के दृढ़ कक्ष में विभाग द्वारा रखे गये दोहरी चाबियों के पैकेट्स नियमानुसार वापिस न होना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	अवधि से संबंधित	लंबित पैकेटों की संख्या
1	कोलारस (शिवपुरी)	1997	02
2	मुरैना	2004 से 2005	06
3	इटारसी (होशंगाबाद)	2005	02
4	धार	2003 से 2005	03
5	मण्डला	2005 से 2006	33
6	सीधी	1988 से 2005	22
7	शहडोल	1981 से 1998	28
8	अनूपपुर	1998 से 2006	12
9	दतिया	2004 से 2005	08
10	सागर	2003 से 2006	28
11	खण्डवा	2000 से 2006	51
12	भोपाल	1981 से 2006	26
13	हरदा	2002 से 2005	09
14	बैतूल	2004 से 2006	21
15	होशंगाबाद	2002 से 2005	04
16	श्योंपुर	1999 से 2005	13
17	खरगौन	2003 से 2005	14
18	पन्ना	2005	17
19	छतरपुर	2005 से 2006	15
20	कटनी	2000 से 2005	14
21	बालाघाट	1999 से 2005	04
22	सोहागपुर (होशंगाबाद)	2000 से 2005	03
23	कुरवाई (विदिशा)	2005	02
24	मोतीमहल	1994 से 2005	81
25	मुंगावली (अशोकनगर)	2003 से 2004	03
26	शिवपुरी	2004 से 2005	11
27	करैरा (शिवपुरी)	2001 से 2005	06
28	सबलगढ़ (मुरैना)	2002 से 2006	05
29	इंदौर	1984 से 2004	58
30	बड़वानी	2005 से 2006	28
31	जबलपुर	1987 से 2004	58
32	पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर)	2003 से 2004	03
33	उज्जैन	2001 से 2006	25
	<b>योग</b>		<b>615</b>

परिशिष्ट संख्या-34

(पैरा-3.8.5)

खजांची/भण्डार लिपिक से प्रतिभूति राशि जमा न कराई जाने वाले कोषालयों/उपकोषालयों की सूची

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम
1	मुरैना	13	बैतूल
2	मण्डला	14	श्यापुर
3	सीधी	15	खरगौन
4	हनुमना (रीवा)	16	छतरपुर
5	मेहगांव (भिण्ड)	17	वल्लभ भवन
6	कुसमी (सीधी)	18	सिवनीमालवा (होशंगाबाद)
7	पचमढी (होशंगाबाद)	19	पिपरिया (होशंगाबाद)
8	चितरंगी (सीधी)	20	ग्वालियर
9	मऊगंज (रीवा)	21	शिवपुरी
10	सिंहावल (सीधी)	22	करैरा (शिवपुरी)
11	मुलताई (बैतूल)	23	नीमच
12	विन्ध्याचल कोषालय	24	सिंगौली (नीमच)

परिशिष्ट संख्या-35

(पैरा-3.9.1)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन से नियमानुसार स्रोत पर आयकर एवं अधिभार की कटौती न करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	राशि रू.
1	भोपाल	2718939
2	बैरसिया (भोपाल)	34927
3	बैतूल	191141
4	मुलताई (बैतूल)	57924
5	भैसदेही (बैतूल)	14344
6	होशंगाबाद	152013
7	इटारसी (होशंगाबाद)	113107
8	सिवनीमालवा (होशंगाबाद)	66777
9	सोहागपुर (होशंगाबाद)	40322
10	पिपरिया (होशंगाबाद)	87630
11	हरदा	243490
12	विदिशा	200950
13	कुरवाई (विदिशा)	44209
14	ग्वालियर	1325424
15	डबरा (ग्वालियर)	209179
16	मोतीमहल (ग्वालियर)	175471
17	अशोकनगर	135424
18	चन्देरी (अशोकनगर)	19729
19	मुंगावली (अशोकनगर)	43035
20	शिवपुरी	231322
21	करैरा (शिवपुरी)	12898
22	पिछोर (शिवपुरी)	43026
23	कोलारस (शिवपुरी)	23858
24	पोहरी (शिवपुरी)	5553
25	दतिया	207665
26	भांडेर (दतिया)	45418
27	सेंवढा (दतिया)	48601
28	भिण्ड	219975
29	गोहद (भिण्ड)	74038
30	लहार (भिण्ड)	100198
31	मेहगांव (भिण्ड)	60534
32	अटेर (भिण्ड)	3276
33	मुरैना	237795
34	सबलगढ़ (मुरैना)	46661
35	अम्बाह (मुरैना)	145725
36	जौरा (मुरैना)	122649
37	शयोपुर	90366
38	विजयपुर (शयोपुर)	14406
39	इंदौर	2200656
40	देपालपुर (इंदौर)	22897
41	महू (इंदौर)	48867

42	सांवेर (इंदौर)	31730
43	धार	249109
44	बदनावर (धार)	17208
45	कुक्षी (धार)	9865
46	धरमपुरी (धार)	41268
47	मनावर (धार)	43514
48	सरदारपुर (धार)	29247
49	झाबुआ	25428
50	अलीराजपुर (झाबुआ)	4330
51	जोबट (झाबुआ)	14987
52	पेटलावद (झाबुआ)	13076
53	थांदला (झाबुआ)	28940
54	खरगौन	130478
55	बड़वाह (खरगौन)	43713
56	भीकनगांव (खरगौन)	29549
57	कसरावद (खरगौन)	32267
58	महेश्वर (खरगौन)	21028
59	सनावद (खरगौन)	53245
60	सैगांव (खरगौन)	6620
61	मण्डलेश्वर (खरगौन)	14112
62	बड़वानी	45746
63	राजपुर (बड़वानी)	31294
64	पानसेमल (बड़वानी)	11359
65	संधवा (बड़वानी)	36297
66	बुरहानपुर	225279
67	उज्जैन	552365
68	महिदपुर (उज्जैन)	15409
69	तराना (उज्जैन)	43481
70	नागदा (उज्जैन)	50829
71	बड़नगर (उज्जैन)	87258
72	खाचरौद (उज्जैन)	43567
73	घटिया (उज्जैन)	7432
74	रतलाम	431336
75	आलोट (रतलाम)	38556
76	नीमच	170606
77	रामपुरा (नीमच)	7356
78	जावद (नीमच)	42498
79	मनासा (नीमच)	3953
80	सिंगौली (नीमच)	11095
81	सागर	308920
82	खुरई (सागर)	46244
83	बीना (सागर)	77829
84	रहली (सागर)	24184
85	देवरी (सागर)	42244
86	गढ़ाकोटा (सागर)	11564
87	पन्ना	78087
88	अजयगढ़ (पन्ना)	9703
89	पवई (पन्ना)	21683

90	शाहनगर (पन्ना)	7555
91	छतरपुर	35830
92	नौगांव (छतरपुर)	70720
93	बिजावर (छतरपुर)	27962
94	बक्सवाहा (छतरपुर)	3584
95	लौंडी (छतरपुर)	65908
96	राजनगर (छतरपुर)	47113
97	जबलपुर	1225871
98	सिहोरा (जबलपुर)	80944
99	पाटन (जबलपुर)	56705
100	छिन्दवाड़ा	268187
101	सौंसर (छिन्दवाड़ा)	57406
102	पांडुरना (छिन्दवाड़ा)	46749
103	अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा)	25073
104	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	14746
105	परासिया (छिन्दवाड़ा)	30473
106	मण्डला	64911
107	नैनपुर (मण्डला)	12135
108	निवास (मण्डला)	10046
109	सिवनी	202158
110	लखनादौर (सिवनी)	31094
111	केवलारी (सिवनी)	19853
112	बालाघाट	147477
113	बैहर (बालाघाट)	9041
114	वारासिवनी (बालाघाट)	70688
115	कटंगी (बालाघाट)	4070
116	कटनी	266358
117	विजयराधवगढ़ (कटनी)	19708
118	रीवा	281590
119	हनुमना (रीवा)	24393
120	मऊगंज (रीवा)	42602
121	सिरमौर (रीवा)	18945
122	त्योथर (रीवा)	50700
123	सतना	154658
124	नागौद (सतना)	37962
125	अमरपाटन (सतना)	41494
126	रामपुर बधेलान (सतना)	16178
127	सीधी	90110
128	बैढ़न सिंगरौली (सीधी)	79051
129	चुरहट (सीधी)	4296
130	देवसर (सीधी)	14739
131	शहडोल	70261
132	ब्यौहार (शहडोल)	17424
133	अनूपपुर	24530
134	पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर)	2389
	<b>योग</b>	<b>17089994</b>

परिशिष्ट संख्या-36

(पैरा-3.9.2)

मुद्रांकों का निर्धारित सीमा से अधिक भण्डारण

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	अधिक भण्डारण की राशि रु.
1	भोपाल	224618860
2	बैरसिया (भोपाल)	313282
3	बैतूल	50929733
4	मुलताई (बैतूल)	14552016
5	भैसदेही (बैतूल)	6402465
6	शाहपुर (बैतूल)	150150
7	इटारसी (होशंगाबाद)	17219980
8	पचमढ़ी (होशंगाबाद)	240676
9	सिवनीमालवा (होशंगाबाद)	23509890
10	सोहागपुर (होशंगाबाद)	7875205
11	पिपरिया (होशंगाबाद)	6428713
12	हरदा	3816832
13	कुरवाई (विदिशा)	3358163
14	ग्वालियर	86783517
15	डबरा (ग्वालियर)	1754128
16	मोतीमहल (ग्वालियर)	237534852
17	शिवपुरी	6917980
18	दतिया	105102034
19	भांडेर (दतिया)	180458
20	गोहद (भिण्ड)	559655
21	लहार (भिण्ड)	10038685
22	अटेर (भिण्ड)	1208920
23	मुरैना	3111087
24	सबलगढ़ (मुरैना)	4801801
25	देपालपुर (इंदौर)	28462955
26	महू (इंदौर)	69200075
27	सांवेर (इंदौर)	10178950
28	बदनावर (धार)	13242730
29	कुक्षी (धार)	847446
30	धरमपुरी (धार)	8800880
31	मनावर (धार)	9738315
32	गंधवानी (धार)	51670
33	झाबुआ	72320000
34	अलीराजपुर (झाबुआ)	26937500
35	जोबट (झाबुआ)	4452575
36	पेटलावद (झाबुआ)	7553673
37	थांदला (झाबुआ)	8335339
38	खरगौन	334369864
39	बड़वाह (खरगौन)	11081210
40	भीकनगांव (खरगौन)	8867695



41	कसरावद (खरगौन)	15225302
42	सनावद (खरगौन)	12462417
43	मण्डलेश्वर (खरगौन)	10430660
44	बड़वानी	64133610
45	राजपुर (बड़वानी)	39979036
46	पानसेमल (बड़वानी)	6702335
47	सेंधवा (बड़वानी)	9898420
48	बुरहानपुर	8720000
49	महिदपुर (उज्जैन)	18630741
50	नागदा (उज्जैन)	22196170
51	खाचरौद (उज्जैन)	21425484
52	घटिया (उज्जैन)	4709704
53	गढ़ाकोटा (सागर)	425725
54	बण्डा (सागर)	961560
55	पाटन (जबलपुर)	17421390
56	छिन्दवाड़ा	9655380
57	जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा)	1264484
58	परासिया (छिन्दवाड़ा)	10900000
59	मण्डला	2564323
60	सिवनी	1182000
61	केवलारी (सिवनी)	1169073
62	बालाघाट	7618857
63	विजयराधवगढ़ (कटनी)	4156660
64	रीवा	45383351
65	मऊगंज (रीवा)	1957750
66	नागौद (सतना)	5384167
67	मैहर (सतना)	11007151
68	अमरपाटन (सतना)	3397960
69	रामपुर बधेलान (सतना)	8739495
70	सीधी	27589300
71	चुरहट (सीधी)	525630
72	देवसर (सीधी)	2324220
	<b>योग</b>	<b>1829992314</b>

परिशिष्ट संख्या-37

(पैरा-3.9.3)

कोषालयों/उपकोषालयों के अभिलेख में मुद्रांकों का कम पाया जाना

कोषालय / उपकोषालय	प्रदायकर्ता	जारी दिनांक	मुद्रांक का प्रकार	मूल्य वर्ग रू.	नग संख्या	कुल कम पायी गयी राशि
झाबुआ	नियंत्रण अधिकारी प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद	22.3.02	गैर अदालती	100	5	500
आलोट (रतलाम)	केन्द्रीय मुद्रांक डिपो नासिक / जिला कोषालय रतलाम	30.12.96 / 15.5.98	---"---	1000	9	9000
राजनगर (छतरपुर)	केन्द्रीय मुद्रांक डिपो नासिक / जिला कोषालय छतरपुर	07.8.99	---"---	1000	10	10000
छिन्दवाड़ा	केन्द्रीय मुद्रांक डिपो नासिक	—	---"---	10 5000	32 3	15320
उज्जैन	नियंत्रण अधिकारी प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद	05.7.04	---"---	50	11	550
बड़नगर (उज्जैन)	केन्द्रीय मुद्रांक डिपो नासिक / जिला कोषालय उज्जैन	/ 08.6.99	---"---	50	100	5000
	<b>योग</b>				<b>111</b>	<b>40370</b>

परिशिष्ट संख्या-38

(पैरा-3.9.5)

मुद्रांक विक्रेताओं को न्यायिक मुद्रांक जारी कर अनाधिकृत कमीशन प्रदाय करना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	कुल राशि रु.
1	कोलारस (शिवपुरी)	11225
2	सेंवढा (दतिया)	8590
3	लहार (भिण्ड)	20250
4	अटेर (भिण्ड)	2075
5	झाबुआ	63848
6	नीमच	3610
7	जावद (नीमच)	2885
8	सिंगौली (नीमच)	337
9	खुरई (सागर)	10800
10	रहली (सागर)	16095
11	देवरी (सागर)	6631
12	सतना	72307
13	सीधी	24095
14	शहडोल	114152
15	ब्यौहारी (शहडोल)	7868
16	अनूपपुर	4095
	<b>योग</b>	<b>368863</b>

परिशिष्ट संख्या-39

(पैरा-3.9.6)

मुद्रांक विक्रेताओं को प्रदत्त कमीशन का तिमाही पत्रक कार्यालय आयकर आयुक्त को न भेजा जाना

स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम	स.क्र.	कोषालय/उपकोषालय का नाम
1	भैंसदेही (बैतूल)	22	भाण्डेर (दतिया)
2	होशंगाबाद	23	मुरैना
3	इटारसी (होशंगाबाद)	24	सबलगढ़ (मुरैना)
4	सोहागपुर (होशंगाबाद)	25	अम्बाह (मुरैना)
5	पिपरिया (होशंगाबाद)	26	जौरा (मुरैना)
6	आलोट (रतलाम)	27	श्यापुर
7	हरदा	28	विजयपुर (श्यापुर)
8	कुरवाई (विदिशा)	29	महू (इंदौर)
9	अशोकनगर	30	सांवेर (इंदौर)
10	चंदेरी (अशोकनगर)	31	बदनावर (धार)
11	मुंगावली (अशोकनगर)	32	कुक्षी (धार)
12	शिवपुरी	33	महिदपुर (उज्जैन)
13	करैरा (शिवपुरी)	34	तराना (उज्जैन)
14	कोलारस (शिवपुरी)	35	नागदा (उज्जैन)
15	पोहरी (शिवपुरी)	36	खाचरौद (उज्जैन)
16	हनुमना (रीवा)	37	घटिया (उज्जैन)
17	नागौद (सतना)	38	जाबद (नीमच)
18	पन्ना	39	मनासा (नीमच)
19	अमरपाटन (सतना)	40	सिंगौली (नीमच)
20	रामपुर बधेलान (सतना)	41	पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर)
21	लखनादौन (सिवनी)	42	पाटन (जबलपुर)